सी० बी० 2 संख्या 261

लोक-सभा

H. G. Paranjpe
Deputy Secretary
Lok Sabha Secretariat

उपदान संदाय विधेयक, 1971

(प्रवर समिति का प्रतिवेदन)

(2 मई, 1972 को प्रस्तुत)

सत्यमेव जयते

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मई, 1972/वैशाख, 1894 (शक)

मूल्य : 1.15 रुपये

लोक - सभा

उपदान संदाय विधेयक, 1971 सम्बन्धी प्रवर समिति

के प्रतिवेदन

का

शुद्धि-पत्र

1. पृष्ठ (iii), पंक्ति 4, ''डा० जी० एस० मेलकोंटे'' के स्थान पर ''डा० जी० एस० मेलकोटे'' पढ़िए ।

2. पृष्ठ (v), पंक्ति सात, ''पुनःस्थापित'' शब्द के स्थान पर ''पुरःस्थापित'' पढ़िए ।

3. पृष्ठ (vi), पंक्ति 1 एवं 2 में ''शास्त्रियों'' शब्द के स्थान पर ''शास्तियों'' पढ़िए ।

4. पृष्ठ (vi), पंक्ति 5, ''सम्भेद'' शब्द के स्थान पर ''स्थभेद'' पढ़िए ।

5. पृष्ठ (vi), पंक्ति 35, ''छुंटनी / सेवान्युक्ति'' के स्थान पर ''छंटनी / सेवानुक्ति'' पढ़िए ।

6. पृष्ठ (vii), पंक्ति 3, ''अनुक्षेप'' शब्द के स्थान पर ''अनुज्ञेय'' पढ़िए ।

7. पृष्ठ (vii), पंक्ति 6, ''आदित'' शब्द के स्थान पर ''आदितः'' पढ़िए ।

8. पृष्ठ (vii), पंक्ति 19, ''यात्रानुपाती'' शब्द के स्थान पर ''मात्रानुपाती'' पढ़िए।

9. पृष्ठ (vii), पंक्ति 35, ''सिंहात्मक'' शब्द के स्थान पर ''हिंसात्मक'' पढ़िए।

10. पृष्ठ (vii), पंक्ति 37, ''सम्यपहृत'' शब्द के स्थान पर ''समपहृत'' पढ़िए।

11. पृष्ठ (ix), पंक्ति 10, ''नियोजिक'' शब्द के स्थान पर ''नियोजक'' पढ़िए।

12. पृष्ठ (ix), पंक्ति 25, 27 और 32 में ''पुनः संख्यांकित'' शब्द के स्थान पर ''पुनर्संख्यांकित'' पढ़िए।

13. पृष्ठ (xv), पंक्ति 18, ''स्थिगत'' शब्द के स्थान पर ''आस्थिगत'' पढ़िए।

14. पृष्ठ (xv), पंक्ति 18, ''किरायों'' के स्थान पर ''किराये'' पढ़िए।

15. पृष्ठ 7 , पंक्ति 19, ''नामानिर्देशन'' शब्द के स्थान पर ''नामनिर्देशन'' पढ़िए।

विषय सूची

	पृष्ठ
1. प्रवर समिति की रचना	(iii)
2. प्रवर समिति का प्रतिवेदन .	(v)
3. विमति—टिप्पण . .	(xi)
4. प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक .	1
परिशिष्टः	
एक : विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के संबंध में लोक-सभा में प्रस्ताव	13
दो : उन सस्थाओं/व्यक्तियों की सूची जिनसे प्रवर समिति को ज्ञापन/अभ्यावेदन/टिप्पण प्राप्त हुए थे	.4
तीन प्रवरसमिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश .	15

उपदान संदाय विधेयक, 1971 संबंधी प्रवर समिति

समिति की रचना

डा० जी० एस० मेलकोटे--सभापति

सदस्य

2. श्री आर० डी० भंडारे
3. श्री दीनेन भट्टाचार्य
4. श्री मूलचंद डागा
5. श्री सी० टी० दंडपाणि
6. श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित
7. श्री एस० वी० गिरि
8. श्री हुकम चंद कछवाय
9. श्री राजा कुलकर्णी
10. श्री प्रसन्नभाई मेहता
11. श्री जगन्नाथ मिश्र
12. श्री एन० श्रीकान्तन नायर
13. श्री दामोदर पांडे
14. श्री एस० राधाकृष्णन
15. श्री रानेन सेन
16. श्री राम नारायण शर्मा
17. श्री सी० एम० स्टीफन
18. श्री जी० वेंकटस्वामी
19. श्री बाल गोविन्द वर्मा
20. श्री आर० के० खाडिलकर

---

*23 दिसम्बर, 1971 को श्री राम रतन शर्मा के स्थान पर नियुक्त।

विधायी परामर्शदाता

श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता,
विधि और न्याय मंत्रालय।

श्री वी० एस० भाष्यम्, उप-विधायी परामर्शदाता,
विधि और न्याय मंत्रालय।

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय के प्रतिनिधि
(श्रम और रोजगार विभाग)

1. श्री पी० एम० नायक, सचिव।
2. श्री डी० एस० निम, संयुक्त सचिव।
3. श्री महेश चन्द्र, विशेष कार्य अधिकारी (श्रम)।
4. श्री दलजीत सिंह, अवर सचिव।

सचिवालय

श्री पी० के० पटनायक—संयुक्त सचिव।

श्री एच० जी० परांजपे—उप-सचिव।

प्रवर समिति का प्रतिवेदन

मैं, उस प्रवर समिति का सभापति जिसे कारखानों, खानों, बागानों, दुकानों, अथवा अन्य स्थापनों में लगे हुए कर्मचारियों को उपदान के संदाय के लिए एक स्कीम का तथा उससे संबंधित या उसके अनुषंगित विषयों का उपबंध करने वाला *विधेयक सौंपा गया था, समिति द्वारा उनकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर, समिति का यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं जिसके साथ समिति द्वारा संशोधित रूप में विधेयक भी संलग्न है।

2. यह विधेयक 10 दिसम्बर, 1971 को पुनः स्थापित किया गया था। विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव श्रम और पुनर्वास मंत्री श्री आर० के० खाडिलकर ने 21 दिसम्बर, 1971 को प्रस्तुत किया और वह उसी दिन स्वीकार हो गया (परिशिष्ट-एक)।

3. समिति की कुल ग्यारह बैठकें हुई।

4. समिति की पहली बैठक 24 दिसम्बर, 1971 को हुई थी, उस बैठक में समिति ने यह निश्चय किया कि बैठकों के अगले दौर में विधेयक पर खंड-वार विचार किया जायेगा।

5. विभिन्न संस्थाओं, व्यक्तियों आदि से समिति को बाईस ज्ञापन/अभ्यावेदन/टिप्पणियाँ आदि प्राप्त हुईं। (परिशिष्ट-दो)।

6. समिति का प्रतिवेदन "आगामी सत्र अर्थात् लोक-सभा के बजट सत्र (1972) के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक" प्रस्तुत किया जाना था। चूंकि ऐसा नहीं किया जा सका, इसलिए 15 मार्च, 1972 को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि 1 मई, 1972 तक बढ़ा दी गई।

7. समिति ने 21 और 22 जनवरी, 17, 18, 19, 20, और 26 अप्रैल, 1972 को हुई अपनी क्रमशः दूसरी, तीसरी, पांचवीं, छटी, सातवीं, आठवीं और दसवीं बैठकों में विधेयक पर खंड-वार विचार किया।

8. समिति ने निश्चय किया है कि विभिन्न संस्थाओं, व्यक्तियों आदि द्वारा प्रस्तुत किये गये, ज्ञापनों अभ्यावेदनों आदि का एक समुच्य सदस्यों के संदर्भ के लिए संसद् ग्रन्थालय में रख दिया जाये।

9. समिति ने 28 अप्रैल, 1972 को प्रतिवेदन पर विचार किया और उसे स्वीकार किया।

10. विधेयक में प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तनों के सम्बन्ध में समिति के विचार उत्तरवर्ती पैराग्राफों में सविस्तार दिये गये हैं।

11. **खंड 2--(एक) उप खंड (ग)--'निरन्तर सेवा' की परिभाषा**:--केरल औद्योगिक कर्मचारी उपदान संदाय अधिनियम 1970 के अधीन हड़ताल की अवधि (निरंतर सेवा) के अंतर्गत की जाती है। पश्चिम बंगाल कर्मचारी अनिवार्य उपदान संदाय विधेयक, 1971 के अधीन अवैध हड़ताल की अवधि को 'निरन्तर सेवा' में शामिल नहीं किया जाता। विधेयक में 'निरन्तर सेवा' की वही परिभाषा दी गई है जो पश्चिम बंगाल अधिनियम में दी हुई है, जिसे राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल संबंधी संसदीय परामर्शदात्री समिति के साथ परामर्श करके अधिनियमित किया था। समिति के समक्ष यह तर्क दिया गया

---

*10 दिसम्बर, 1971 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 2 में प्रकाशित।

कि चूंकि ग्रौद्योगिक विवाद ग्रधिनियम, 1947 में ग्रवैध हड़ताल करने के संबंध में शास्तियों की व्यवस्था है इसलिए ग्रवैध हड़ताल के मामले में विधेयक में ग्रौर शास्तियों की व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। समिति को यह भी बताया गया कि कभी-कभी नियोक्ता उत्पीड़क कृत्यों द्वारा ग्रौद्योगिक कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिये उत्तेजित करते हैं। सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए समिति यह सुझाव देती है कि फिलहाल इस समभेद के ग्रध्यधीन कि 'कामबंदी' की ग्रवधियों को भी निरंतर सेवा का भाग माना जाये। 'निरन्तर सेवा' की परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया जाये ग्रौर इस विषय पर सरकार से पुनर्विचार करने का ग्रनुरोध किया जाये। समिति का यह भी विचार है कि 'निरन्तर सेवा' का ग्रवधारण करते समय ग्रविच्छिन्न या विछिन्न सेवा की गणना की जाये, चाहे वह प्रस्तावित विधान प्रारंभ होने से पूर्व की हो या पश्चात् की।

समिति का यह भी विचार है कि 'निरन्तर सेवा' की परिभाषा में इस ग्राशय का स्पष्टीकरण जोड़ दिया जाये कि एक कर्मचारी, जो एक वर्ष में--

(क) भूमि के नीचे खान में 190 दिनों तक, या

(ख) किसी ग्रन्य मामले में, 240 दिनों तक कार्य करता है, उसे निरन्तर सेवा में रहा हुग्रा माना जाये।

समिति का यह भी विचार है कि मौसमी स्थापनों में नियोजित व्यक्तियों के मामले में, यदि वे मौसम के दौरान जितने दिन काम हुग्रा है उनके 75 प्रतिशत दिन नियोजित रहे हों तो उन्हें निरन्तर सेवा में माना जाये।

(दो) उप-खंड (ङ) – 'कर्मचारी' की परिभाषा

विधेयक की व्याप्ति को व्यापक बनाने के लिए समिति यह सिफारिश करती है कि 750 रुपये प्रतिमास की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमास कर दिया जाये जैसी कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना में उपबन्धित हैं।

समिति का विचार है कि यदि कोई व्यक्ति पहले 1000 रुपय प्रतिमास से ग्रनधिक की मजदूरी पर नियोजित हो ग्रौर पांच वर्ष तक निरंतर 1000 रुपये प्रतिमास से ग्रनधिक मजदूरी पर नियोजित रहे तो 1000 रुपये प्रतिमास से ग्रधिक मजदूरी होने पर उसे उपदान पाने का ग्रनधिकारी नहीं बनाना चाहिए। इसलिए समिति यह सुझाव देती है कि ऐसे कर्मचारी के मामले में, उसे उस ग्रवधि के लिए जिस समय वह 1000 रुपये प्रतिमास से ग्रनधिक मजदूरी पर नियोजित था, उस ग्रवधि के दौरान उसके द्वारा प्राप्त की गई मजदूरी के ग्राधार पर उपदान दिया जाये।

समिति का यह भी विचार है कि इस विधेयक के उपबंधों को केवल महापत्तनों तक ही सीमित न रखा जाये। इसे महापत्तनों ग्रौर छोटे पत्तनों दोनों प्रकार के पत्तनों के कर्मचारियों पर भी लाग किया जाये।

इसके ग्रतिरिक्त "कारखाना" "खान" ग्रौर "बागान" शब्दों की परिभाषा खंड 1 के बजाय खण्ड 2 में दी गई है। महा पत्तन ग्रौर छोटे पत्तन दोनों प्रकार के पत्तनों को इसकी व्याप्ति में लाने के लिये "पत्तन" शब्द की भी परिभाषा की गई है।

12. खंड 4-- (एक)–उप खंड (1)--चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया गया कि ग्रधिवर्षिता, छुंटनी/सेवान्युक्ति के मामलों में कोई ग्रर्हक ग्रवधि नहीं होनी चाहिये, जबकि पदत्याग करने या ग्रनुशासनिक कार्यवाही के फलस्वरूप सेवा के पर्यवसान के मामलों में ग्रर्हक ग्रवधि विहित की जानी चाहिये

और यह कि अर्हक अवधि को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष या इससे भी कम कर दिया जाना चाहिये। यह भी सुझाव दिया गया कि यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि उपदान केवल सेवा के पर्यवसान पर ही अनुज्ञेप होगा। समिति ने इन बातों पर विस्तारपूर्वक विचार किया और समिति का विचार है कि उपदान संदाय के प्रयोजनों के लिये पांच वर्ष की अर्हक अवधि को जारी रहने दिया जाये। तथापि, मृत्यु या दुर्घटना अथवा बीमारी से उत्पन्न निःशक्तता के कारण, न कि केवल पूर्ण निःशक्तता के कारण जैसी कि विधेयक में आदित की गई है, सेवा के पर्यवसान पर उपदान संदाय के लिये अर्हक अवधि नहीं होनी चाहिये। उपर्युत बातों की व्यवस्था करने के लिये उप-खंड में संशोधन किया गया है।

(दो) नया उप-खंड (1क) [उप-खंड (4) के रूप में पुन संख्यांकित]

समिति का विचार है कि यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि किसी ऐसे कर्मचारी को संदेय उपदान की संगणना करते हुये जिसे, उसकी निःशक्तता के बाद, घटी हुई मजदूरी पर नियोजित किया जाता है, उसकी निःशक्तता के पूर्व की अवधि की उसकी मजदूरी को उसके द्वारा उस अवधि के दौरान प्राप्त मजदूरी माना जाये और उसकी निःशक्तता के बाद की अवधि के लिये संदेय उपदान की संगणना घटी हुई मजदूरी के आधार पर की जाये। तदनुसार नया उप-खंड अतः स्थापित कर दिया गया है।

(तीन) उप-खंड (2) (उप-खंड 2 और 3 के रूप में पुनसंख्यकिता)

विद्यमान उप-खंड के अनुसार उपदान 15 दिन की मजदूरी (आधारित मजदूरी तथा मंहगाई भत्ता) की दर पर संदेय है जो सेवा के प्रत्येक संपूर्ति वर्ष के लिये अथवा उसके छह मास से अधिक भाग के लिये संबंधित कर्मचारी द्वारा सबसे अन्त में प्राप्त की गई मजदूरी की दर पर आधारित होगी और जिसकी उच्चतम सीमा पन्द्रह मास की मजदूरी से अधिक नहीं होगी। किन्तु इस खंड में यह नहीं बताया गया है कि यात्रानुपाती दर पर काम करने वाले कर्मचारियों की मजदूरी का अवधारण किस प्रकार किया जायेगा। समिति का विचार है कि विधेयक में स्पष्ट उपबन्ध कर दिया जाना चाहिये कि मात्रा-नुपाती दर पर काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में सबसे अन्त में प्राप्त की गई मजदूरी सेवा के पर्यवसान में ठीक तीन महीने पहले के कुल उपार्जन की, जिसमें समयोपरि भत्ता सम्मिलित नहीं होगा, औसत होगी।

समिति का यह भी विचार है कि मौसमी स्थापनों के मामले में उपदान निम्नतर दर अर्थात् प्रत्येक मौसम के लिये 7 दिन की मजदूरी की दर से दिया जा सकता है। समिति यह भी महसूस करती है कि किसी कर्मचारी को संदेय उपदान राशि की अधिकतम सीमा पन्द्रह मास की मजदूरी से बढ़ाकर बीस मास की मजदूरी कर दी जाये ताकि कर्मचारियों को तीस वर्ष की सेवा के बाद भी कार्य करने का प्रोत्साहन मिल सके। उप-खंड में इन बातों की व्यवस्था हेतु आवश्यक संशोधन कर दिया गया है।

(चार) उप-खण्ड 3 (उप-खण्ड 6 के रूप में पुनर्संख्याकित)—यह सुझाव दिया गया था कि पूरे उप-खंड (3) का लोप कर दिया जाये ताकि किसी कर्मचारी द्वारा काफी समय तक की सेवा के कारण अर्जित उपदान किसी समपंहरण के अध्यधीन, चाहें किसी प्रकार के अवचार के अथवा उसके किसी अन्य आचरण के लिये, न हो चूंकि हो सकता है कि कोई बेईमान नियोजक इस उपबन्ध का अनुचित लाभ उठाये और इसका दुरुपयोग करे। इस उपबन्ध के मूल में यह धारणा है कि जहां किसी कर्मचारी की सेवाओं का पर्यवसान उसके किसी ऐसे आचरण के कारण किया गया है जिससे की नियोजक को किसी प्रकार की हानि उठानी पड़ी है याकि उसका आचरण बलवात्मक, उपद्रवी या सिंहात्मक है अथवा जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध का गठन करता है, तो इस प्रकार के आचरण के लिये कर्मचारी को उसे संदेय उपदान में कमी करके अथवा उपदान की पूरी राशि को समयपहृत करके कुछ परिणाम भुगतने चाहियें।

समिति के विचार में विद्यमान उपबन्ध को अभी बनाये रखा जाये तथा सरकार से इस मामले पर पुन विचार करने का अनुरोध किया जाये।

(पांच) उप-खण्ड (3) (ख) (दो) **[उप-खंड 6 (ख) (दो) के रूप में पुनर्संख्याकित]** में यह व्यवस्था है कि यदि किसी कर्मचारी की सेवायें किसी ऐसे कार्य के कारण पर्यवसित की जाती हैं जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध का गठन करता है तो उपदान समपहृत कर लिया जायेगा, परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा ऐसा अपराध अपने नियोजन के दौरान किया जाता है अथवा ऐसे किसी स्थान पर किया जाता है जो उसके नियोजन स्थान में, अथवा उसके आस-पास में है। तथापि, इस उपबन्ध का निर्वचन इस अर्थ में किया जा सकता है, कि यदि किसी कर्मचारी ने नियोजन के स्थान में, अथवा उसके आसपास में, नियोजन के दौरान न होते हुये भी कोई अपराध किया है तो उपदान समपहृत किया जा सकता है। समिति का विचार है कि यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिये कि उपदान केवल उसी दशा में समपहृत किया जायेगा जबकि अपराध नियोजन के दौरान ही किया गया हो, अन्यथा नहीं। उपर्युक्त बातों की व्यवस्था हेतु उपखंड में यथोचित संशोधन कर दिया गया है।

13. **खंड 5** में किया गया परिवर्तन प्रारुपण संबंधी है।

14. **खंड 6– उप खंड** (7)—प्रत्येक कर्मचारी जिसने सेवा का एक वर्ष पूरा कर लिया है, विहित प्रारूप में किसी व्यक्ति का नामनिर्देशन करेगा जिसे कर्मचारी की मृत्यु पर उपदान का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक नामनिर्देशन, नया नामनिर्देशन अथवा नामनिर्देशन में परिवर्तन, कर्मचारी द्वारा अपने नियोजक को भेजा जायेगा जो उसे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा। समिति का विचार है कि कर्मचारी से प्राप्त ऐसे प्रत्येक नामनिर्देशन प्रारूप की एक-एक प्रतिलिपि नियोजक द्वारा नियंत्रक प्राधिकारी तथा साथ ही नामनिर्देशित को भेजी जानी चाहिये। समिति चाहती कि सम्बन्धित अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों में इसके लिये व्यवस्था की जानी चाहिये।

15. **खंड 7**–विद्यमान खंड में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अधीन कोई कर्मचारी नियंत्रक प्राधिकारी को, उन मामलों में जहां कर्मचारी उसको संदेय उपदान की रकम के बारे में अथवा उपदान के संदाय के लिये कर्मचारी के दावे की अनुज्ञेयता के बारे में कोई विवाद है, उप-खंड 4(ख) में विनिर्दिष्ट कार्यवाही करने के लिए समावेदन कर सके। समिति का विचार है कि कर्मचारी को अधिकार दिया जाना चाहिये कि वह ऐसे प्रयोजनों के लिये नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन कर सकता है। इस बात की भी स्पष्ट व्यवस्था की जानी चाहिये कि नियंत्रक प्राधिकारी, नियोजक द्वारा उप-खंड (क) के अधीन रकम जमा करा दिये जाने के बाद यथाशक्य शीघ्र जमा कराई गई रकम का भुगतान कर्मचारी या, उसकी अनुपस्थिति में, दावा करने वाले उसके नाम निर्देशित या उत्तराधिकारी को, यदि आवेदक के अधिकार के बारे में कोई विवाद नहीं है, करेगा। उपर्युक्त बातों की व्यवस्था करने के लिये खंड में संशोधन कर दिया गया है।

16. **खंड 8**–इस खंड में यह व्यवस्था है कि उपदान के संदाय में व्यतिक्रम के मामलों में नियंत्रक प्राधिकारी, व्यथित व्यक्ति द्वारा उसे इस निमित्त आवेदन किये जाने पर, कलक्टर को उस रकम के लिये एक प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में करेगा तथा उसे उसके हकदार व्यक्ति को संदत्त करेगा। समिति का विचार है कि ऐसे मामलों में नियोजक से उस रकम पर 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज भी वसूल किया जाये और उसें उसके हकदार व्यक्ति को संदत्त किया जाये। खंड को तदनुरूप संशोधित कर दिया गया है।

1·7 **खंड 9**–चर्चा के दौरान यह सुझाव दिया गया था कि उपदान के संदाय में व्यतिक्रम (और तकनीकी अथवा प्रशासकीय स्वरूप उल्लघन के लिये नहीं) कारावास से ही दण्डनीय होना चाहिये। समिति ने इस मामले पर विचार किया है और महसूस करती है कि उन मामलों में जहां नियोजक कर्मचारी को उपदान की रकम संदत्त करने में असफल रहता है, और अधिक कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिये। खंड में तदनुरूप संशोधन कर दिया गया है।

18. **नया खंड 9क (खंड 10 के रूप में पुनर्संख्यांकित)**–शास्ति संबंधी उपबन्धों पर विचार करते समय, जैसा कि खंड 9 में अन्तर्विष्ट किये गये हैं, समिति के ध्यान में यह बात लाई गई है कि हो सकता है कि नियोजक अधिनियम के उपबन्धों के किसी प्रकार से किये गये उल्लंघनों जिन्हें नियोजक से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति ने किया हो, से अवगत न हो। ऐसे मामलों में उस व्यक्ति के कृताकृत के लिये नियोजिक को दंड देना अनुचित होगा। नियोजक को न्यायालय के समक्ष यह सिद्ध करने का अवसर देने के लिये कि अधिकथित उल्लंघन उसकी जानकारी, सम्मति या मौनानुकूलता के बिना किया गया था तथा यह कि अधिनियम के निष्पादन को प्रवर्तित करने के लिये उसने आवश्यक तत्परता बरती थी, नये खंड 9क में एक नई व्यवस्था की गई है।

19. **खंड 10 (खंड 11 के रूप में पुनर्संख्यांकित)**–इस खंड के अधीन कोई भी न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान समुचित सरकार द्वारा अथवा उसके प्राधिकारी के अधीन किए गए परिवाद के सिवाय नहीं करेगा। यह सुझाव दिया गया था कि व्यथित पक्षकार अर्थात् कर्मचारी को भी न्यायालय को समावेदन करने और मुकदमा दायर करने के लिये प्राधिकृत किया जाये। इस बात की ओर ध्यान दिलाया गया कि यह खंड मिथ्या और तुच्छ मुकदमों तथा निराधार परिवादों को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था और यह कि इस प्रकार का उपबन्ध सभी श्रम कानूनों में विद्यमान है। समिति ने मामले के इस पहलू पर विचार किया है और यह महसूस करती है कि यदि उन मामलों में जहां विहित समय की समाप्ति के छः मास के भीतर उपदान संदत्त नहीं किया गया है या उसकी वसूली नहीं हो सकती है, नियंत्रक प्राधिकारी को नियोजक के विरुद्ध किसी सक्षम न्यायालय में परिवाद करने और इस प्रकार अपराधी व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोजन कार्यवाहियां आरम्भ करने हेतु प्राधिकृत करने के किये एक निर्विदिष्ट उपबन्ध बना दिया जाता तो यह पर्याप्त होगा।

20. **खंड 11 (खंड 12 के रूप में पुनसंख्याकित)**

इस खंड में किया गया संशोधन प्ररूपण सम्बन्धी है।

21. **नया खंड 11क (खंड 13 के रूप में पुनसंख्यांकित)**

विधेयक के उद्देश्यों को देखते हुये समिति ने यह महसूस किया है कि किसी कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम को किसी दीवानी, राजस्व या फौजदारी न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क होने से पूरी तरह संरक्षण देना समुचित होगा। तदनुरूप एक नया खंड 11क जोड़ दिया गया है।

22. **खंड 12 (खंड 15 के रुप में पुनःसंख्याकित)**

संसद् के दोनों सदनों की अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों ने केन्द्रीय अधिनियमों के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा संसद् के समक्ष नियम आदि को प्रस्तुत करने के लिए बनाये गये एक पुनरीक्षित

आदर्श खड का अनुमोदन कर दिया है। इस खण्ड में किये गये संशोधन इस खंड को उपर्युक्त समितियों द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित आदर्श खण्ड के अनुरूप बनाने की दृष्टि से है।

23. **खंड 1**—इस खंड में किये गये संशोधन उप-खंड (3) में लागू होने संबंधी उपखंड को खंड 2(ङ०) के उपबन्ध के अनुरूप बनाने की दृष्टि से है।

24. **अधिनियम सूत्र**--सूत्र में किया गया परिवर्तन औपचारिक है।

25. प्रवर समिति सिफारिश करती है कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये।

नई दिल्ली;
28 अप्रेल, 1972
8 वैशाख, 1894 (शक)।

जी० एस० मेलकोटे,
सभापति,
प्रवर समिति

विमति टिप्पण

एक

"उपदान संदाय विधेयक 1971 कारखानों खानों, बागानों, दुकानों अथवा अन्य स्थापनों में लगे हुये कर्मचारी को उपदान के संदाय के लिये एक स्कीम का तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए विधेयक।"

विधेयक का उद्देश्य यह है परन्तु वर्तमान रूप में इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में बहुत से कर्मचारी नहीं आते हैं।

खंड 1 के उप-खंड (3) (क) के अन्तर्गत कारखाने, खान, तेल-क्षेत्र, बागान, पत्तन और रेलवे कम्पनी के कर्मचारी आते हैं। उप-खंड (3) (ख) के अन्तर्गत दुकान तथा स्थापन आते हैं और उप-खंड (3) (ग) के अन्तर्गत शेष स्थापन अथवा स्थापन वर्ग आते हैं परन्तु समुचित सरकार अधिसूचना द्वारा उनको विनिर्दिष्ट करती है। अतः इस विधेयक का क्षेत्राधिकार बहुत सीमित प्रतीत होता है। यह सामाजिक विधान है और इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत विभिन्न संस्थाओं, संगठनों तथा उद्योगों के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों को रखा जाना चाहिए। अतः हम खंड 1 के उपखंड (3) के उपबंध से असहमत हैं और निम्नलिखित वर्गों के कर्मचारी इसके अन्तर्गत सम्मिलित करने का सुझाव देते हैं:-

किसी स्थानीय निकाय के कर्मचारी;

किसी परिवहन के कर्मचारी;

कोई संविद श्रमिक;

किसी निर्माण उद्योग के कर्मचारी;

किसी शैक्षणिक संस्थान, हस्पताल के कर्मचारी;

किसी जलपान गृह, क्लब और सहकारी समितियों के कर्मचारी; और
किसी धार्मिक विन्यास के कर्मचारी।

2. रेलवे, कारखाने, सरकारी उपक्रमों, दुकानों और स्थापनों जैसे औद्योगिक एककों के कर्मचारियों तथा प्रबन्धकों के बीच इस समय औद्योगिक संबन्ध ऐसे हैं कि कभी-कभी कर्मचारी प्रबन्धकों के अनुचित तथा अमानवीय दृष्टिकोण का शिकार बन जाते हैं। कर्मचारियों के प्रति अन्यायपूर्ण कार्यवाही के परिणामस्वरूप कभी-कभी हड़ताल होना या कर्मचारियों का उग्र होना अवश्यंभावी है। ऐसी हड़तालें विधान के अनुसार सदैव वैध नहीं होती हैं। खण्ड 2 के उपखण्ड (ग) में 'निरन्तर सेवा' की परिभाषा दी गई है और निरन्तर सेवा को निरन्तर नहीं समझा जाएगा यदि हड़ताल वैध नहीं है। काम करने की परिस्थितियों, प्रबन्धकों की अनुचित तथा अमानवीय दृष्टिकोण और शिकायतों को दूर करने के लिए अपर्याप्त तन्त्र के कारण कभी-कभी कर्मचारी उत्तेजित हो जाते हैं और वे हड़ताल करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसी बलात परिस्थितियों में सेवा की निरन्तरता पर कोई प्रतिकूल

प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अतः कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने की दृष्टि से "निरन्तर सेवा" की परिभाषा में आने वाले "जो अवैध न हों" शब्दों का लोप कर दिया जाना चाहिए।

3. खण्ड 4 के उप-खण्ड (6) में उपदान को समपहृत करने का उपबन्ध है। उपदान को एक ऐसा लाभ समझा जाता है जो किसी कर्मचारी द्वारा की गई सेवाओं के बदले उसकी अधिवर्षिता पर, उसकी निवृत्ति या पदत्याग पर अथवा किसी दुर्घटना या रोग के कारण उसकी मृत्यु अथवा निःशक्तता के पश्चात् मिलता है। अतः समपहृत की धारणा औद्योगिक संबंधों के सिद्धान्त तथा सामान्य मापदंडों के नितान्त प्रतिकूल है। इसलिए खण्ड 4 के उपखण्ड (3) का कानून में कोई स्थान नहीं होना चाहिए।

4. इस विधेयक में कर्मचारियों को देय उपदान की राशि की रक्षा करने के लिए किसी उचित तन्त्र की व्यवस्था नहीं की गई है। हर वर्ष देय राशि से, जिसकी गणना किसी उचित दर से प्रत्येक कर्मचारी की सेवा के आधार पर की जाये। बनाये जाने वाली उपदान निधि का प्रबन्ध करने के लिए भविष्य निधि योजना जैसी किसी योजना अथवा न्यास की स्थापना करने से कर्मचारियों के उपदान की रक्षा करने का प्रयोजन पूरा हो जायेगा। ऐसे न्यास का प्रबन्ध इस प्रयोजनार्थ एक निकाय बनाकर प्रत्येक राज्य को सौंपा जाये अथवा प्रादेशिक भविष्य निधि आयुक्त या जीवन बीमा निगम को सौंपा जाये। ऐसा तन्त्र केवल कर्मचारियों को ही कुछ लाभ नहीं पहुंचायेगा, बल्कि सामान्य विकास की ओर ध्यान दे सकेगा बन्द एककों को अपने अधिकार में ले सकेगा, मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकेगा और बन्द, एवं आर्थिक दृष्टि से कमजोर एककों को समाप्त भी कर सकेगा। यह बन्द एककों को नये प्रबन्धकों को सौंप कर उनको पुनः चालू करने में भी सहायता पहुंचा सकेगा और बन्द एककों को अपने अधिकार में लेने के कारण सरकार पर पड़ने वाले बोझ को भी कम कर सकेगा।

5. खण्ड 9 में नियोक्ता द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी संदाय से बचने अथवा ऐसे संदायों से बचने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को समर्थ बनाने के लिए शास्तियों का उपबंध है। ऐसा प्रतीत होता है कि कम शास्तियों का उपबंध किया गया है और इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। भविष्य निधि योजना को क्रियान्वित करने में प्राप्त हुए अनुभव तथा नियोक्ताओं द्वारा बड़े पैमाने पर खयानत के मामलों को देखते हुए अब लेशमात्र भी संदेह नहीं रहा कि ऐसे कानून में अधिक कठोर दण्ड की व्यवस्था की जानी चाहिए। अतः यह श्रमिक वर्ग के हित में है कि चूककर्ताओं को कारावास के अतिरिक्त कोई अन्य दण्ड न मिले। अतः यह सुझाव है कि खण्डों में निम्नलिखित संशोधन करके कठोर दण्ड का उपबन्ध किया जाये :

(एक) खण्ड 9 के उप-खण्ड (1) में "छह मास" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द **प्रतिस्थापित** किये जायें और शेष वाक्य का लोप किया जाये।

(दो) खण्ड 9 के उप-खण्ड 2 में "तीन मास" शब्दों के स्थान पर "एक वर्ष" शब्द **प्रतिस्थापित** किये जायें और शेष वाक्य का लोप किया जाये :

6. यदि कर्मचारी इस निष्कर्ष तर पहुंचता है कि सरकार ने उसके मामले पर ठीक कार्यवाही नहीं की है तो विधेयक में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसके अन्तर्गत कर्मचारी अथवा उसका नामित अथवा उसका एजेन्ट किसी विधि न्यायालय में सीधे जा सके। सम्पूर्ण दृष्टिकोण यह है कि सरकारी तन्त्र इसे मामले में हस्तक्षेप करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के प्राधिकारियों के काम से हुए अनुभव के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नियोक्ता साफ बच जाते हैं यद्यपि वे कर्मचारी भविष्य निधि में अपना सांविधिक अंशदान नहीं देते। इस अनुभव की दृष्टि से सरकार को चाहिए था कि वह वर्तमान विधेयक में एक ऐसा उपबन्ध करती जिस के अन्तर्गत कर्मचारियों को यह अधिकार होता कि यदि वे व्यथित महसूस करें तो दाण्डिक कार्यवाही के लिए किसी सक्षम न्यायालय में जा सकें।

अतः हमारा सुझाव है कि खण्ड 11 का लोप कर दिया जाये जिसका अर्थ यह होगा कि व्यथित व्यक्ति दाण्डिक कार्यवाही के लिए सक्षम न्यायालय में जा सकेगा।

प्रसन्नभाई मेहता

नई दिल्ली; रानेन सेन

28 अप्रल, 1972 । एस० बी० गिरी

दो

दुःख की बात है कि केन्द्रीय सरकार, जिसके नेता समय-बाधित कार्यक्रम बनाकर समाजवाद लाने के लिए वचनबद्ध हैं, कुछ ऐसे मूलभूत संशोधनों से सहमत न हो सकी, जिनका प्रवर समिति के मज़दूर संघीय सदस्यों ने सर्वसम्मिति से समर्थन किया है यद्यपि प्रवर समिति उतना समय, जितना मांगा गया, देने के लिए तत्काल सहमत हो गई है। निस्संदेह यह लज्जा की बात है कि सरकार, जिसने प्रगतिशील उपायों में , जिनको लाने का सरकार दावा करती है और उच्चतम न्यायालय की हस्तक्षेप करने संबंधी शक्तियों को कम करने के लिए उसने उत्तरोत्तर तीन बार भारत के संविधान का संशोधन किया है, उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय स्वीकार न कर सकी कि उपदान कर्मचारियों द्वारा की गई पिछली सेवाओं के लिए संदाय है और इस कारण किसी भावी आचार के आधार पर इसे देने से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

अतः खण्ड 4 के पूरे उप-खण्ड (6) का लोप कर दिया जाये। यदि खण्ड 4 का उपखण्ड 6 (क), जिसमें कोई कार्य करने या न करने के कारण कर्मचारियों द्वारा किये गये नुकसान को पूरा करने के लिए आंशिक समपहरण का उपबन्ध है, बनाये रखा जाता है तो समझौते के तौर पर खण्ड 4 के उप-खण्ड 6(ख) का लोप कर दिया जाये क्योंकि यह हमारे यथापूर्व उच्चतम न्यायालय द्वारा कर्मचारियों को प्रदान किये गये संरक्षण के प्रतिकूल है ।

खंड 11 द्वारा नियोक्ताओं को परित्राण दिया गया है जिससे उन्हें विधेयक के उपबन्धों की अवहेलना करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसलिए किसी व्यथित व्यक्ति या हितबद्ध मज़दूर संघ को सीधे न्यायालय में मामला ले जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

समुचित सरकार के लिए यह बाध्यकर बनाना ही कि छः महीने बाद मुकदमा दायर करने के लिए नियंत्रक प्राधिकारी को प्राधिकृत किया जाये, दावेदार को उपदान की गारन्टी देने के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि इसके लिए किसी नियोक्ता के विरुद्ध कार्यवाही आरम्भ करने हेतु सरकार को विवश करने के लिए व्यथित व्यक्ति को उच्च न्यायालय में लेख याचिका दायर करनी होगी।

उपदान की रकम भी बढ़ाकर कम से कम 21 दिन की मज़दूरी कर दी जाये: इसलिए खण्ड 4 (2) को भी तद्नुसार संशोधित किया जाये।

अन्त में, मुझे इस बात का दुख है कि केन्द्र सरकार ने खण्ड 1 में सिविल निकायों, स्थानीय बोर्डों और निर्माण अभिकरणों के कर्मचारियों, परिवहन कर्मचारियों और संविदा -मज़दूरों को सम्मिलित नहीं किया है, जिसके कारण इन वर्गों के कर्मचारियों को उपदान प्राप्त करने की सुविधा से वंचित कर दिया गया है। कम से कम इन वर्गों के कर्मचारियों को शामिल करने के लिए इस विधेयक को और व्यापक बनाया जाना चाहिए ।

नई दिल्ली; **एन० श्रीकांतन नायर**

29 अप्रैल, 1972।

तीन

1. मैं, डा० रानेन सेन और सर्वश्री प्रसन्नभाई मेहता और श्री एस० बी० गिरि द्वारा प्रस्तुत किए गए विभति - टिप्पणों में कही गई बातों और दिये गये तर्कों से सहमत हूं, तथापि इस विधयेक के उद्देश्यों और प्रयोजन को पूरी तरह से पूरा करने के लिए कुछ और बातें कहना चाहता हूं।

2. उपदान संदाय विधयेक सामाजिक सुरक्षा का एक साधन है अतः इस नाते इसके अन्तर्गत यथा-सम्भव अधिक से अधिक कामगरों और कर्मचारियों को लाया जाना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव है कि खण्ड 1 के उप-खण्ड (3) (क) में "रेलवे कम्पनी" शब्दों के बाद "किसी भी स्थानीय निकाय, परिवहन, ठेका उद्योग, निर्माण उद्योग, शैक्षणिक संस्थाओं जिनमें कालेज, स्कूल, तकनीकी संस्थाएं या विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं, अस्पताल और चिकित्सालय, क्लब, कैंटीन या सहकारी समिति और सालिसिटर फर्मों के कर्मचारियों" जोड़ा जाये।

3. खंड 2, उप-खण्ड (ग) में 'निरन्तर सेवा' की परिभाषा दी गई है और इसमें "अवैध हड़तालें" में भाग लेने के कारण कार्य में हुए व्यवधान को शामिल नहीं किया गया है। मौजूदा औद्योगिक ढांचे में और मौजूदा औद्योगिक नियमों के अन्तर्गत प्रत्येक हड़ताल को अवैध घोषित किया जा सकता है । अतः इस उपबन्ध के कारण कामगरों और कर्मचारियों को उपदान की सुविधा से वंचित रहना होगा। अतः मेरा सुझाव है कि उपदान संदाय विधयक, 1971 के खंड 2 के उप-खंड (ग) (प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में) में से "जो अवैध नहीं है" शब्दों का लोप कर दिया जाये।

4. खंड 2 के उप-खंड (खंडों) में "मजदूरी" की परिभाषा दी गई है किन्तु उस में बोनस, कमीशन, मकान किराया भत्ता, समयोपरि मजदूरी और कई अन्य भत्तों को सम्मिलित नहीं किया गया है। ये भत्ते कर्मचारी की मजदूरी के अंग हैं। बोनस स्थिगत मजूदरी के सिवाय कुछ नहीं है । मकान किरायों की धारणा को पन्दहवें श्रम सम्मेलन द्वारा बनाये गये सूत्र में आवश्यकता पर आधारित वेतन में शामिल किया गया था। कामगरों को समयोपरि भत्ता सामान्य दर से ऊंची दरों पर केवल इसी लिए दिया जाता है कि उन्हें आवश्यकता से अधिक थकावट के लिए मुआवजा ऊंची दर पर दिया जाये और इस लिए यह मजदूरी का ही अंग है। इसलिए मेरा सुझाव है कि उस खंड में 'महगाई भत्ते' के बाद की बाकी तीन पंक्तियों का, जो "किन्तु इसमें. . . ." से शुरु होती है, लोप कर दिया जाये।

5. खंड 4 उप-खंड (1) में यह परिभाषा दी गई है कि उपदान का पात्र बनने के लिए कर्मचारी की कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा होनी चाहिए। मेरा सुझाव है कि इस अर्हक अवधि को पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया जाये। खंड 4 के उप-खंड (1) (ख) में "पदत्याग या" शब्द के बाद "पद च्युति, बरखास्तगी और छंटनी" शब्द जोड़ दिये जायें। जहां उपदान की अर्हक अवधि का उल्लेख पांच वर्ष किया है, उन स्थानों पर तीन वर्ष निर्दिष्ट करने के लिए परिणामिक परिवर्तन भी करने होंगे।

6. प्रतिवेदन विधेयक के खंड 4 के उप-खंड (2) में उपदान की दर पन्द्रह दिन की मजदूरी निश्चित की गई है जो मेरी दृष्टि से उचित नहीं है। मेरा सुझाव है कि खंड के उप-खंड (2) में निम्नलिखित संशोधन किया जाये – "पन्द्रह दिन" शब्दों के स्थान पर "तीस दिन" शब्द **प्रतिस्थापित** किये जायें। इसके **अतिरिक्त**, उसी उप-खंड के दूसरे परन्तुक में "सात दिन" शब्दों के स्थान पर "पन्द्रह दिन" शब्द **प्रतिस्थापित** किए जायें। संदेय उपदान की अधिकतम रकम बीस महीने की मजदूरी निश्चित की गई है। मेरा

सुझाव है कि इस खंड का लोप कर दिया जाये ताकि किसी कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम की कोई उच्चतम सीमा न हो।

7. खंड 4 के उप-खंड (6) (क) में उपदान को अंशतः या पूर्णतः जब्त करने का प्रावधान किया गया है। यह उपबन्ध स्वाभाविक न्याय के सिद्धांत और औद्योगिक संबंधनों के आदर्शों के नितान्त प्रतिकूल है। कामगर और कर्मचारी उपदान प्राप्त करने का अधिकार अर्जित करते हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि उप-खंड (6) (क) और (ख) का पूरी तरह लोप कर दिया जाये।

8. खंड 9 में चूककर्ता नियोजकों के लिए शास्तियों का प्रावधान किया गया है। इन खंडों में जिन शास्तियों की व्यवस्था की गई है वे अत्यधिक कठोर होनी चाहिएं ताकि गैर-अदायगी के मामले में या चूककर्ताओं के विरुद्ध कारागर कार्यवाही की जा सके। इस लिए मेरा सुझाव है कि खंड 9 के उप-खंड (1) में "अथवा जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनो से" शब्दों का लोप कर दिया जायें। खंड 9 के उप-खंड (2) में, "अथवा जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा अथवा दोनों से" शब्दों का लोप कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी सुझाव है कि खंड 9 के उप-खण्ड (2) के परन्तुक में, "परन्तु जहां पूर्ति हो जायेगी" शब्दों का लोप कर दिया जाये।

9. मेरा सुझाव है कि खंड 11 के उपखंड (1) का लोप कर दिया जाये जिससे कि कामगर या कर्मचारी को चूककर्ता नियोजक के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में दण्ड संबंधी कार्यवाही करने की स्वतन्त्रता मिल जाये और उसे अपना मामला उठाने के लिए सरकारी व्यवस्था पर निर्भर न रहना पड़े।

10. नियोक्ताओं द्वारा जमा की जाने वाली उपदान की रकम के प्रशासन और सुरक्षा की निरापद अभिरक्षा के लिए, जिसे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के सीधे पर्यवेक्षण और प्राशासनिक अन्तर्गत रखा जा सकता है, विधेयक में व्यवस्था की जानी चाहिए।

11. विधेयक में यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि किसी कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम पर आयकर नहीं लगाया जायेगा। इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था भी की जानी चाहिए कि देय उपदान का दावा करते समय कर्मचारी के नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को मृत्यु-शुल्क अदायगी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने को नहीं कहा जाये।

नई दिल्ली ; **दीनेन भट्टाचार्य**

2 मई, 1972

---

12 वशाख, 1894 (शक)

1971 का विधेयक सं० 154

[पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी बिल, 1971 का हिन्दी अनुवाद]

उपदान संदाय विधेयक, 1971

[जैसा कि प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किया गया]

[जिन शब्दों के नीचे या पार्श्व में रेखाएं हैं वे समिति द्वारा सुझाए गए संशोधन प्रकट करते हैं; तारक चिह्न लोप प्रकट करते हैं ।]

कारखानों, खानों, तेलक्षेत्रों, बागानों, पत्तनों, रेल कम्पनियों, दुकानों अथवा अन्य स्थापनों में लगे हुए कर्मचारियों को उपदान के संदाय के लिए एक स्कीम का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम विस्तार लागू होना तथा प्रारम्भ ।

1. (1) यह अधिनियम उपदान संदाय अधिनियम, 1972 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है :

परन्तु वहां तक जहां तक कि इसका सम्बन्ध बागानों या पत्तनों से है, इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य पर नहीं होगा ।

(3) यह अधिनियम —

(क) प्रत्येक कारख़ाने, ख़ान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन और रेल कम्पनी को ;

(ख) किसी राज्य में दुकानों और स्थापनों के सम्बन्ध में तत्समय प्रवृत किसी विधि के अर्थ में, प्रत्येक ऐसी दुकान अथवा स्थापन को, जिसमें पूर्ववर्ती बारह मासों में से किसी दिन दस या अधिक व्यक्ति नियोजित हों, अथवा नियोजित थे ;

(ग) ऐसे अन्य स्थापनों अथवा स्थापनों के वर्ग को जिसमें पूर्ववर्ती बारह मासों में से किसी दिन, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, दस अथवा अधिक कर्मचारी नियोजित हों, अथवा नियोजित थे ;

लागू होगा ।

(4) यह उस तारीख को प्रवृत होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करें ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "समुचित सरकार" से––

(i) निम्नलिखित किसी स्थापन के सम्बन्ध में, केन्द्रीय सरकार, अर्थात् :––

(क) केन्द्रीय सरकार का, अथवा उसके नियंत्रणाधीन, स्थापन,

(ख) ऐसा स्थापन जिसकी एक से अधिक राज्य में शाखाएं हों ;

(ग) केन्द्रीय सरकार के, अथवा उसके नियंत्रणाधीन कारखाने का स्थापन,

(घ) किसी महापत्तन, खान, तेलक्षेत्र अथवा रेल कम्पनी का स्थापन, तथा

(ii) किसी अन्य दशा में, राज्य सरकार, अभिप्रेत है;

(ख) "सेवा का सम्पूरित वर्ष" से अभिप्रेत है एक वर्ष की निरन्तर सेवा ;

(ग) "निरन्तर सेवा" से अभिप्रेत है अविच्छिन्न सेवा और इसके अन्तर्गत वह सेवा भी है जो बीमारी, दुर्घटना, छुट्टी, कामबन्दी, ऐसी हड़ताल जो अवैध न हो अथवा तालाबन्दी अथवा कार्यावरोध, जो सम्बन्धित कर्मचारी की त्रुटि के कारण न हो, से विच्छिन्न हुई हो, चाहे ऐसी अविच्छिन्न या विच्छिन्न सेवा इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व की गई हो या पश्चात् ;

स्पष्टीकरण 1–किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में जो एक वर्ष से अविच्छिन्न सेवा में न हो, उसके बारे में तब यह समझा जाएगा कि वह निरन्तर सेवा में है जब वह उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती बारह मासों के दौरान किसी नियोजक द्वारा,––

(i) यदि भूमिगत किसी खान में नियोजित हो तो कम से कम 190 दिनों के लिए, अथवा

(ii) तब के सिवाय जब कि वह किसी मौसमी स्थापन में नियोजित हो, किसी अन्य दशा में, 240 दिनों के लिए,

वास्तव में नियोजित किया गया हो ।

स्पष्टीकरण 2–किसी मौसमी स्थापन के कर्मचारी के बारे में तब यह समझा जाएगा कि वह निरन्तर सेवा में है जब उसने उन दिनों के, जिनमें वह स्थापन उस वर्ष के दौरान प्रचलित रहा, कम से कम पचहत्तर प्रतिशत दिन वास्तव में काम किया हो ;

(घ) "नियंत्रक प्राधिकारी" से धारा 3 के अधीन समुचित सरकार द्वारा नयुक्त प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "कर्मचारी" से अभिप्रेत है (शिक्षु से भिन्न) ऐसा कोई व्यक्ति जो एक हजार रुपए प्रतिमास से अनधिक की मजदूरी पर किसी स्थापन, कारखाने,*** खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कम्पनी अथवा दुकान में कुशल, अर्ध-कुशल, अथवा अकुशल, शारीरिक, पर्यवेक्षण सम्बन्धी, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य करने के लिए, नियोजित है, चाहे ऐसे नियोजिन के निबन्धन अभिव्यक्त हों अथवा विवक्षित, किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता जो प्रबन्धकीय या प्रशासनिक हैसियत में नियोजित है, अथवा जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन
1950 का 45 कोई सिविल पद धारण करता है, अथवा जो वायु सेना अधिनियम
1950 का 46 1950, सेना अधिनियम 1950, अथवा नौसेना अधिनियम,
1957 का 62 1957 के अधीन है ;

स्पष्टीकरण–किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में जो पांच वर्ष से अन्यून की कालावधि के लिए एक हजार रुपये प्रतिमास से अनधिक की मजदूरी पर नियोजित किया गया हो और तत्पश्चात् किसी समय एक हजार रुपए प्रतिमास से अधिक की मजदूरी पर नियोजित किया जाए, उस कालावधि की बाबत उपदान, जिसके दौरान ऐसा कर्मचारी एक हजार रुपए प्रतिमास से अनधिक की मजदूरी पर नियोजित रहा हो, उसके द्वारा उस कालावधि के दौरान प्राप्त की गई मजदूरी के आधार पर अवधारित किया जाएगा ;

(च) "नियोजित" से, किसी ऐसे स्थापन, कारखाने,*** खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कम्पनी अथवा दुकान के सम्बन्ध में :—

(i) जो केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार की है, अथवा उसके नियंत्रणाधीन है, समुचित सरकार द्वारा कर्मचारियों के पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, अथवा प्राधिकारी अभिप्रेत है, अथवा जहां कोई व्यक्ति या प्राधिकारी इस प्रकार नियुक्त नहीं किया गया हो वहां सम्बद्ध मंत्रालय अथवा विभाग का अध्यक्ष अभिप्रेत है,

(ii) जो किसी स्थानीय प्राधिकारी का है अथवा उसके नियंत्रणाधीन है, ऐसे प्राधिकारी द्वारा कर्मचारियों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है अथवा जहाँ कोई व्यक्ति इस प्रकार नियुक्त नहीं किया गया है वहां स्थानीय प्राधिकारी का मुख्य कार्यपालिक अधिकारी अभिप्रेत है,

(iii) किसी अन्य दशा में, वह व्यक्ति या प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे स्थापन, कारखाने,***खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कम्पनी अथवा दुकान के कार्यकलापों पर अन्ततोगत्वा नियंत्रण है, तथा जहां उक्त कार्यकलाप किसी अन्य व्यक्ति को सौंपे गए हों, चाहे वह प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक अथवा किसी अन्य नाम से ज्ञात हो, वहां वह व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) "कारख़ाना" का वही अर्थ है जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खण्ड (ड) में उसे दिया गया है ; 1948 का 63

(ज) किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में, "कुटुम्ब" में निम्नलिखित सम्मिलित समझे जाएंगे, अर्थात् :—

(i) पुरूष कर्मचारी की दशा में, वह स्वयं, उसकी पत्नी, उसकी विवाहित या अविवाहित संतान, उसके आश्रित माता-पिता तथा उसके मृत पुत्र, यदि कोई रहा हो, की विधवा और संतान,

(ii) महिला कर्मचारी की दशा में, वह सवयं, उसका पति, उस की विवाहित या अविवाहित संतान, उसके आश्रित माता-पिता और उसके पति के आश्रित माता-पिता तथा उसके पूर्व मृत पुत्र, यदि कोई रहा हो, की विधवा और संतान :

परन्तु उस दशा में जब महिला कर्मचारी, नियंत्रक प्राधिकारी की लिखित सूचना द्वारा, अपने पति को अपने कुटुम्ब से अपवर्जित करने की वांछा अभिव्यक्त करती है तो उस दशा में, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, पति और उसके आश्रित माता-पिता ऐसी माहिला कर्मचारो के कुटुम्ब में सम्मिलित नहीं समझे जाएंगे जब तक कि उक्त सूचना उक्त महिला कर्मचारी द्वारा तत्पश्चात् वापिस न ले ली जाए ।

स्पष्टीकरण—जहां कर्मचारी की स्वीय विधि के अधीन उसके द्वारा संतान का दत्तक ग्रहण अनुज्ञात है वहां उसके द्वारा विधिपूर्वक दत्तक ग्रहीत संतान उसके परिवार में सम्मिलित समझी जाएगी, और जहां किसी कर्मचारी की संतान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दत्तक ग्रहण कर ली जाए और ऐसा दत्तक ग्रहण, ऐसा दत्तक ग्रहण करने वाले व्यक्ति की स्वीय विधि के अधीन, वैध हो वहां एसी संतान कर्मचारी के कुटुम्ब से अपवर्जित समझी जाएगी ;

(झ) "महापत्तन" का वही अर्थ है जो भारतीय महापत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 3 के खण्ड (8) उसे दिया गया है ; 1908 का 15

(ञ) खान का वही अर्थ है जो खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ञ) में उसे दिया गया है; 1952 का 35

(ट) "अधिसूचना" से शासकीय राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

1948 का 53 — (ठ) "तेलक्षेत्र" का वही अर्थ है जो तेलक्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 की धारा 3 के खण्ड (ङ) में उसे दिया गया है;

1951 का 69 — (ड) "बागान" का वही अर्थ है जो बागान श्रम अधिनियम, 1951 की धारा 2 के खण्ड (च) में उसे दिया गया है;

1908 का 15 — (ढ) "पत्तन" का वही अर्थ है जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 3 के खण्ड (4) में उसे दिया गया है;

(ण) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

1890 का 9 — (त) "रेल कम्पनी" का वही अर्थ है जो भारतीय रेल अधिनियम, 1890 की धारा 3 के खण्ड (5) में उसे दिया गया है;

(थ) "निवृत्ति" से अभिप्रेत है कर्मचारी की सेवा का, अधिवर्षिता पर से भिन्न रुप में, पर्यवसान;

(द) किसी कर्मचारी के संबंध में "अधिवर्षिता" से अभिप्रेत है——

(i) कर्मचारी द्वारा उस आयु की प्राप्ति जो संविदा अथवा सेवा की शर्तों में ऐसी आयु के रुप में नियत की गई है जिसकी प्राप्ति पर कर्मचारी नियोजन रिक्त कर देगा; तथा

(ii) किसी अन्य दशा में, कर्मचारी द्वारा अट्ठावन वर्ष की आयु की प्राप्ति;

(ध) "मजदूरी" से वे सब उपलब्धियां अभिप्रेत हैं जो किसी कर्मचारी द्वारा अपने नियोजन के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार कर्तव्यारुढ़ होने अथवा छुट्टी पर होने की दशा में अर्जित की जाती है तथा जो उसे नकद में संदत्त की जाती हैं अथवा संदेय हैं तथा इनके अन्तर्गत महंगाई भत्ता है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई बोनस, कमीशन, गृह-किराया भत्ता, अतिकाल मजदूरी और कोई अन्य भत्ता नहीं है ।

नियंत्रक प्राधिकारी

3. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी अधिकारी को नियंत्रक प्राधिकारी के रुप में नियुक्त कर सकेगी, जो इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न नियंत्रक प्राधिकारी नियुक्त किए जा सकेंगे ।

उपदान का संदय

4. (1) कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा*** कर लेने के पश्चात कर्मचारी के नियोजन के पर्यवसान पर उसकी–

(क) उसकी अधिवर्षिता, पर, अथवा

(ख) उसकी निवृत्ति या पद त्याग पर, अथवा

(ग) किसी दुर्घटना अथवा रोग के कारण उसकी मृत्यु अथवा*** नि:शक्तता पर,

उपदान संदेय होगा :

परन्तु पांच वर्ष की निरन्तर सेवा का पूरा होना उस दशा में आवश्यक न होगा जहां किसी कर्मकार के नियोजन के पर्यवसान का कारण उसकी मृत्यु या *** निःशक्तता है;

परन्तु यह और कि कर्मकार की मृत्यु हो जाने की दशा में उसे संदेय उपदान उसके नामनिर्देशिती को अथवा, यदि कोई नामनिर्देशन नही किया गया है तो, उसके वारिसों को दिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण––इस धारा के प्रयोजनों के लिए***निःशक्तता से ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है जो किसी कर्मचारी को उस कार्य के लिए ***असमर्थ बना देती है जिसे वह उस दुर्घटना या रोग के पूर्व, जिसके परिणामस्वरुप ऐसी निःशक्तता हुई है, करने के लिए समर्थ था ।

(2) नियोजक कर्मचारी को, सेवा के प्रत्येक सम्पूरित वर्ष के लिए अथवा छह मास से अधिक के उसके भाग के लिए, सम्बद्ध कर्मचारी द्वारा सबसे अन्त में प्राप्त की गई मजदूरी की दर पर आधारित पन्द्रह दिनों की मजदूरी की दर से उपदान देगा :

परन्तु मात्रानुपाती दर से मजदूरी प्राप्त करने वाले कर्मचारी की दशा में, दैनिक मजदूरी उसके नियोजन के पर्यवासन के ठीक पूर्ववर्ती तीन मास की कालावधि के लिए उसके द्वारा प्राप्त कुल मजदूरी की औसत पर संगणित की जाएगी, और इस प्रयोजन के लिए, किसी अतिकालिक कार्य के लिए संदत्त मजदूरी गणना में नहीं ली जाएगी :

परन्तु यह और कि मौसमी स्थापन में नियोजित कर्मचारी की दशा में, नियोजक प्रत्येक मास के लिए सात दिन की मजदूरी की दर से उपदान का संदाय करेगा ।

(3)***कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम बीस मास की मजदूरी से अधिक नहीं होगी ।

(4) किसी ऐसे कर्मचारी को संदेय उपदान की संगणना के प्रयोजन के लिए जो अपनी निःशक्तता के पश्चात् घटी हुई मजदूरी पर नियोजित किया गया हो, उसकी निःशक्तता के पूर्व की कालावधि के लिए उसकी मजदूरी उसके द्वारा उस कालावाधि के दौरान प्राप्त की गई मजदूरी मानी जाएगी और उसकी निःशक्तता के पश्चात् की कालावधि के लिए की मजदूरी इस प्रकार घटी हुई मजदूरी दी जाएगी ।

(5) **इस धारा की कोई बात किसी पंचाट अथवा नियोजक के साथ करार या संविदा के अधीन उपदान***के और अच्छे निबन्धन प्राप्त करने के कर्मचारी के अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

(6) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी,––

(क) जिस कर्मचारी की सेवाएं उसके किसी ऐसे कार्य या जानबूझकर किए गए ऐसे लोप अथवा उपेक्षा के कारण, जिनसे कि नियोजक की सम्पत्ति की हानि, नुकसान अथवा विनाश हुआ है, पर्यावसित कर दी गई है, उसका उपदान इस प्रकार हुए नुकासन, हानि अथवा विनाश की मात्रा तक समपहृत कर लिया जाएगा ;

(ख) कर्मचारी को संदेय उपदान पूर्णतः समपहृत कर लिया जाएगा —

(i) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाएं उसके बलवात्मक अथवा उपद्रवी आचरण अथवा उसकी ओर से किए गए किसी अन्य हिंसात्मक कार्य के कारण पर्यवसित कर दी गई हैं, अथवा

(ii) यदि ऐसे कर्मचारी की सेवाएं किसी ऐसे कार्य के कारण पर्यवसित कर दी गई हैं जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध का गठन करता है, परन्तु यह तब जब कि उसके द्वारा ऐसा अपराध अपने नियोजन के दौरान किया जाता है ।***

छूट देने की शक्ति ।

5. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी स्थापन, कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कम्पनी अथवा दुकना को, जिसे यह अधिनियम लागू होता है, इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी, यदि समुचित सरकार की राय में ऐसे स्थापन, कारखाने, खान, तेलक्षेत्र, बागान, पत्तन, रेल कम्पनी अथवा दुकान के कर्मचारियों को उपदान या पेंशन संबंधी ऐसे फायदे प्राप्त हो रहे हों जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त फायदों से कम अनुकूल नहीं हों ।

नामनिर्देशन ।

6. (1) प्रत्येक कर्मचारी जिसने सेवा का एक वर्ष पूरा कर लिया है, ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से जो विहित की जाए, धारा 4 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के प्रयोजनार्थ नामनिर्देशन करेगा ।

(2) कर्मचारी अपने नामनिर्देशन में, इस अधिनियम के अधीन उसे संदेय उपदान की रक़म, एक से अधिक नामनिर्देशिती के बीच वितरित कर सकेगा ।

(3) यदि नामनिर्देशन करने के समय कर्मचारी का कोई कुटुम्ब हो तो नामनिर्देशन कुटुम्ब के एक अथवा अधिक सदस्यों के पक्ष में किया जाएगा, तथा ऐसे कर्मचारी द्वारा किसी व्यक्ति के पक्ष में किया गया नामनिर्देशन, जो उसके कुटुम्ब का सदस्य नहीं है, शून्य होगा ।

(4) यदि नामनिर्देशन करने के समय कर्मचारी का कोई कुटुम्ब न हो तो नामनिर्देशन किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में किया जा सकेगा किन्तु यदि तत्पश्चात् कर्मचारी का कोई कुटुम्ब हो जाए, तो ऐसा नामनिर्देशन तत्काल अविधिमान्य हो जाएगा और कर्मचारी, उतने समय के भीतर जो विहित किया जाए, अपने कुटुम्ब के एक अथवा अधिक सदस्यों के पक्ष में नया नामनिर्देशन करेगा ।

(5) उपधारा (3) तथा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नामनिर्देशन कर्मचारी द्वारा किसी भी समय, नियोजक को ऐसा करने के अपने आशय की लिखित सूचना ऐसे प्ररूप में और रीति से, जो विहित की जाए, देने के पश्चात् उपान्तरित किया जा सकेगा ।

(6) यदि नामनिर्देशिती की मृत्यु कर्मचारी से पहले हो जाती है तो नामनिर्देशिती का हित कर्मचारी को प्रतिवर्तित हो जाएगा और कर्मचारी ऐसे हित के सम्बन्ध में, विहित प्ररूप में, नया नामनिर्देशन करेगा ।

(7) यथास्थिति, प्रत्येक नामनिर्देशन, नया नामनिर्देशन अथवा नामनिर्देशन में परिवर्तन, कर्मचारी द्वारा अपने नियोजक को भेजा जाएगा जो उसे अपनी सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा ।

उपदान की रकम का अवधारण ।

7. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन उपदान का संदाय प्राप्त करने का पात्र है अथवा उसकी ओर से कार्य करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कोई व्यक्ति, नियोजक को, उतने समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए, लिखित आवेदन भेजेगा ।

(2) जैसे ही उपदान संदेय हो जाए, नियोजक, चाहे उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन किया गया हो अथवा नहीं, उपदान की रकम अवधारित करेगा और उस व्यक्ति को जिसे उपदान संदेय है, तथा नियंत्रक प्राधिकारी को भी इस प्रकार अवधारित उपदान की रकम विनिर्दिष्ट करते हुए लिखित सूचना देगा ।

(3) नियोजक, उपदान की रकम को उस व्यक्ति को जिसे उपदान संदेय है, उतने समय के भीतर जो विहित किया जाए, संदाय करने की व्यवस्था करेगा ।

(4) (क) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम के बारे में अथवा उपदान के संदाय के लिए किसी कर्मचारी के दावे की अनुज्ञेयता के बारे में अथवा उसके सम्बन्ध में, अथवा उपदान प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति के बारे में कोई विवाद है तो नियोजक, उतनी रकम जितनी कि वह उपदान के रूप में अपनी ओर से संदेय स्वीकार करता है, नियंत्रक प्राधिकारी के पास जमा कर देगा ।

स्पष्टीकरण—जहां इस खण्ड में विनिर्दिष्ट किसी विषय की बाबत कोई विवाद हो वहां कर्मचारी नियंत्रक प्राधिकारी से ऐसी कार्रवाई करने के लिए आवेदन कर सकेगा जैसी कि खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट है ।

(ख) नियंत्रक प्राधिकारी, सम्यक् जांच के पश्चात् तथा विवाद के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम का अवधारण करेगा, तथा, यदि ऐसी जांच के परिणामस्वरूप नियोजक द्वारा जमा की गई रकम से अधिक रकम संदेय पाई जाए तो नियंत्रक प्राधिकारी, नियोजक को उतनी रकम जितनी कि उसके द्वारा जमा रकम के आधिक्य में पाई जाए, संदाय करने का निदेश देगा ।

(ग) नियंत्रक प्राधिकारी जमा की गई रकम, जिसके अन्तर्गत नियोजक द्वारा जमा की गई अधिक रकम, यदि कोई हो, भी है, उसके हकदार व्यक्ति को देगा ।

(घ) खण्ड (क) के अधीन रकम जमा किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, नियंत्रक प्राधिकारी उस जमा रकम का संदाय—

(i) यदि आवेदक स्वयं कर्मचारी ही है तो उसी को, अथवा

(ii) यदि आवेदक स्वयं कर्मचारी नहीं है तो, यदि नियंत्रक प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि आवेदक के उपदान की रकम प्राप्त करने के अधिकार के बारे में कोई विवाद नहीं है, कर्मचारी के नामनिर्देशिति या वारिस को करेगा ।

(5) उपधारा (4) के अधीन जांच करने के प्रयोजनार्थ, नियंत्रक प्राधिकारी को, निम्नलिखित विषयों की बाबत वही शक्तियां होंगी जो न्यायालय को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन वाद का विचारण करते समय होती हैं, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना ;
(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;
(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना ।

1860 का 45

(6) इस धारा के अधीन कोई जांच भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193 और 228 के अर्थ में, तथा धारा 196 के प्रयोजनार्थ, न्यायिक कार्रवाई होगी ।

(7) उपधारा (4) के अधीन आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, समुचित सरकार को अथवा ऐसे अन्य प्राधिकारी को जो समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, अपील कर सकेगा :

परन्तु उस दशा में जब समुचित सरकार अथवा अपीली प्राधिकारी का यह समाधान हो जाए कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर अपील नहीं कर सका था, तो उक्त सरकार या प्राधिकारी उक्त अवधि को साठ दिन की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

(8) यथास्थिति, समुचित सरकार अथवा अपीली प्राधिकारी, अपील के पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, नियंत्रक प्राधिकारी के विनिश्चय को पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगा अथवा उलट सकेगा ।

उपदान की वसूली ।

8. यदि इस अधिनियम के अधीन उपदान की रकम नियोजक द्वारा, विहित समय के भीतर, उसके हकदार व्यक्ति को संदत्त नहीं की जाती है तो नियंत्रक प्राधिकारी, व्यथित व्यक्ति द्वारा उसे ईस निमित्त आवेदन किये जाने पर, कलक्टर को उस रकम के लिए एक प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो, विहित समय के अवसान की तारीख से उस पर नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज सहित उसकी वसूली भू-राजस्व के बकाया के रूप में करेगा तथा उसे उसके हकदार व्यक्ति को संदत्त करेगा ।

शास्तियां ।

9. (1) जो कोई, किसी ऐसे संदाय से बचने के प्रयोजनार्थ जो उसे इस अधिनियम के अधीन करना है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा संदाय करने से बचने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ, जानबूझ कर कोई मिथ्या कथन अथवा मिथ्या व्यपदेशन करता है अथवा कराता है वह कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, अथवा जुर्माने से जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ।

(2) वह नियोजक जो इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम अथवा आदेश का उल्लंघन करता है, अथवा उसके अनुपालन में व्यतिक्रम करता है, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, अथवा जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, अथवा दोनों से, दण्डनीय होगा :

परन्तु जहां अपराध इस अधिनियम के अधीन संदेय उपदान के असंदाय से संबंधित हो वहां नियोजक कारावास से, जिसकी अवधि, तीन मास से कम की न होगी, दण्डनीय होगा, सिवाय तब के जब अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, उन कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, इस राय का हो कि कम अवधि के कारावास से या जुर्माने के अधिरोपण से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी ।

नियोजक को कतिपय मामलों में दायित्व से छूट—

10. जहां कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध से आरोपित हो वहां वह, उसके द्वारा सम्यक् रूप से किए गए परिवाद पर और परिवादी को ऐसा करने के अपने आशय की कम से कम तीन पूर्ण दिनों की लिखित सूचना देने पर, इस बात का हकदार होगा कि किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को जिसे वह वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित करता है, उस आरोप की सुनवाई के लिए नियत किए गए समय पर, न्यायालय के समक्ष लाया जाए ; और यदि अपराध का किया जाना साबित हो जाने के पश्चात्, नियोजक न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दे—

(क) कि उसने इस अधिनियम का निष्पादन कराने के लिए सम्यक् तत्परता बरती है, तथा

(ख) कि उक्त अन्य व्यक्ति ने उसकी जानकारी, सम्मति या मौनानुकूलता के बिना अपराध किया,

तो वह अन्य व्यक्ति उस अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाएगा और उसी प्रकार के दण्ड का भागी होगा मानों वह नियोजक हो, और नियोजक ऐसे अपराध की बाबत इस अधिनियम के अधीन हर दायित्व से उन्मोचित हो जाएगा :

परन्तु यथापूर्वोक्त बात को साबित करने में नियोजक की शपथ पर परीक्षा की जा सकगी और उसके तथा किसी ऐसे साक्षीके, जिसे वह अपने समर्थन में बुलाए, साक्ष्य की, उस व्यक्ति की ओर से जिसे वह वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित करे तथा अभियोजक द्वारा, प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी :

परन्तु यह और कि यदि नियोजक द्वारा वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित व्यक्ति आरोप की सुनवाई के लिए नियत किए गए समय पर न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता हो तो न्यायालय सुनवाई को, समय-समय पर, तीन मास से अनधिक की कालावधि के लिए, स्थगित कर देगा और यदि उक्त कालावधि की समाप्ति तक भी वास्ताविक अपराधी के रूप में आरोपित व्यक्ति न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सके तो न्यायालय नियोजक के विरुद्ध आरोप की सुनवाई के लिए अग्रसर होगा और, यदि अपराध साबित हो जाये तो, नियोजक को दोषसिद्ध करेगा ।

अपराधी का संज्ञान ।

11. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान समुचित सरकार द्वारा अथवा उसके प्राधिकारी के अधीन किए गए परिवाद के सिवाये नहीं करेगा ।

परन्तु जहां उपदान की रकम का संदाय या वसूली सिहित समय के अवसान से छह मास के भीतर न की गई हो वहां समुचित सरकार नियंत्रक प्राधिकारी को इस बात के लिए प्राधिकृत करेगी कि वह नियोजक के विरुद्ध परिवाद करे और तब नियंत्रक प्राधिकारी, ऐसे प्राधिकरण की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर, उस अपराध का विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को ऐसा परिवाद करेगा

(2) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर न्यायालय नहीं करेगा ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए परित्राण ।

12. इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अधीन सद्भावपूर्वक की गई अथवा किए जाने के लिए आशयित किसी बात के सम्बन्ध में कोई वाद अथवा विधिक कार्यवाही नियंत्रक प्राधिकारी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

उपदान का संरक्षण।

13. इस अधिनियम के अधीन संदेय कोई उपदान किसी सिविल, राजस्व या दण्ड न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश के निष्पादन में कुर्क किए जाने के दायित्व के अधीन नहीं होगा ।

अधिनियम का अन्य अधिनियमितियों आदि पर अध्यारोही होना ।

14. इन अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबन्ध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में अथवा इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के आधार पर प्रभावी किसी लिखित अथवा संविदा में किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

नियम बनाने की शक्ति ।

15. (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की अवधि के लिए, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखा जाएगा, और यदि पूर्वोक्त सत्र या क्रमवर्ती सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन में उस नियम कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं अथवा दोनों सदन इस बात के लिए सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम, यथास्थिति, ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा अथवा उसका कोई भी प्रभाव न होगा; किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तरण अथवा बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ।

परिशिष्ट एक

[देखिए प्रतिवेदन का पैरा 2]

विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिए लोक सभा में प्रस्ताव

"कि कारखानों, खानों, बागानों, दुकानों, अथवा अन्य स्थापनों में लगे हुए कर्मचारियों को उपदान के संदाय के लिये एक स्कीम का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाला विधेयक एक प्रवर समिति को सौंपा जाये जिसमें 20 सदस्य हों, अर्थात् :--

1. श्री आर० डी० भण्डारे
2. श्री दीनेन भट्टाचार्य
3. श्री एम० सी० डागा
4. श्री सी० टी० दण्डपाणि
5. श्री जगदीश चन्द दीक्षित
6. श्री एस० बी० गिरि
7. श्री राजा कुलकर्णी
8. श्री प्रसन्न भाई मेहता
9. डा० जी० एस० मेलकोटे
10. श्री जगन्नाथ मिश्र
11. श्री एन० श्रीकान्तन नायर
12. श्री दामोदर पाण्डेय
13. श्री एस० राधाकृष्णन
14. श्री रानेन सेन
15. श्री आर० एन० शर्मा
16. श्री आर० आर० शर्मा
17. श्री सी० एम० स्टीफेन
18. श्री जी० वेंकटस्वामी
19. श्री बाल गोविन्द वर्मा; तथा
20. श्री आर० के० खाडिलकर और समिति को आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देने का अनुदेश दिया जाये।"

परिशिष्ट दो

[देखिए प्रतिवेदन का पैरा 5]

उन संस्थाओं/व्यक्तियों आदि की सूची जिनसे प्रवर समिति को ज्ञापन/अभ्यावेदन/टिप्पण प्राप्त हुए थे।

1. यूनाइटेड ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस एम्पलाइज़ आरगनाइज़ेशन
2. एम्पलायर्स फैडरेशन आॅफ इण्डिया, बम्बई
3. आल इण्डिया आरगनाइज़ेशन आॅफ एम्पलायर्स, नई दिल्ली
4. कनसलटेटिव कमेटी आॅफ प्लाण्टेशन एसोशियेशन्स, कलकत्ता
5. पंजाब, हरयाणा और दिल्ली वाणिज्य और उद्योग मंडल, नई दिल्ली
6. टैक्सटाइल लेबर एसोशियेशन, अहमदाबाद
7. आल इण्डिया मेन्युफेक्चरर्स आरगनाइजेशन, बम्बई
8. हिन्द मज़दूर सभा
9. श्री के० माधवन नायर, एरणाकुलम, कोचीन
10. इण्डियन मरचैण्ट्स चैम्बर, बम्बई
11. हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (बंगलौर डिवीज़न) बंगलौर के सुपरवाइज़री स्टाफ के सदस्य
12. श्री एस० टी० शुक्ला, अहमदाबाद
13. इण्डियन कॉटन मिल्स फैडरेशन, बम्बई
14. नैशनल लेबर आरगनाइजेशन, गुजरात, अहमदाबाद
15. इलैक्ट्रिक हार्न मैनुफैक्चरर्स एसोशियेशन, दिल्ली
16. श्री टी० सी० कुमार जैन, समाज सेवी, दिल्ली
17. मिल-ओनर्स एसोशियेशन, बम्बई
18. नई दिल्ली व्यापारी संघ, नई दिल्ली
19. महाराष्ट्र मोफुसिल मिल्स एसोशियेशन, नागपुर
20. साउदर्न इण्डिया मिलओनर्स एसोशियेशन, कोयम्बतूर
21. नैशनल लेबर आरगनाइजेशन, अहमदाबाद
22. सौराष्ट्र मिल ओनर्स ऐसोशियेशन, सुरेन्द्र नगर (गुजरात)

परिशिष्ट तीन

उपदान संदाय विधेयक, 1971 सम्बन्धी प्रवर समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

एक

पहली बैठक

समिति की बैठक, शुक्रवार, 24 दिसम्बर, 1971 को 14.00 से 14.30 बज तक हुई।

उपस्थित

डा० जी० एस० मेलकोटे—**सभापति**

सदस्य

2. श्री मूल चंद डागा
3. श्री हुकम चंद कछवाय
4. श्री राजा कुलकर्णी
5. श्री प्रसन्नभाई मेहता
6. श्री जगन्नाथ मिश्र
7. श्री एन० श्रीकांतन नायर
8. श्री दामोदर पांडे
9. श्री रानेन सेन
10. श्री बाल गोविन्द वर्मा
11. श्री ग्रार० के० खाडिलकर

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता
2. श्री बी० एस० भास्यम, उप-विधायी परामर्शदाता

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के प्रतिनिधि

(श्रम और रोजगार विभाग)

1. श्री पी० एम० नायक, सचिव
2. श्री डी० एस० निम, संयुक्त सचिव
3. श्री दलजीत सिंह, अवर सचिव

सचिवालय

श्री पी० के० पटनायक--संयुक्त सचिव

श्री एच० जी० परांजपे--उप-सचिव।

2. समिति ने अपने कार्यक्रम पर विचार किया और यह निश्चय किया कि शुक्रवार 21 जनवरी और शनिवार, 22 जनवरी, 1972 को 11.00 बजे होने वाली समिति की बैठकों में विधेयक पर खंड-वार विचार शुरू किया जाये।

3. समिति ने यह निश्चय किया कि इस बीच श्रम और पुनर्वास मंत्रालय समिति के सदस्यों को निम्नलिखित पृष्ठाधार जानकारी देने वाला टिप्पण प्रस्तुत करे।

(एक) विधेयक के उपबन्धों से संबंधित महत्वपूर्ण बातें;

(दो) गैर-सरकारी और सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में कर्मचारियों को उपदान के संदाय संबंधी मौजूदा स्थिति;

(तीन) कर्मचारियों को उपदान के संदाय के बारे में श्रम न्यायालयों, न्यायाधिकरण में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण विनिश्चयों के संगत उदाहरण; और

(चार) यदि मंत्रालय चाहे तो, विधेयक पर त्रिपक्षीय निकायों और प्रमुख मजदूर संघों के विचार।

4. समिति ने यह भी निश्चय किया कि यदि सदस्य विधेयक के खंडों पर कोई संशोधन प्रस्तुत करना चाहें तो वे उनकी सूचना लोक-सभा सचिवालय को 10 जनवरी, 1972 तक भेज दें ताकि उन्हें समिति के सदस्यों को भेजा जा सके।

5. तत्पश्चात् समिति स्थगित हुई।

दो

दूसरी बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 21 जनवरी, 1972 को 11.00 से 13.00 बजे तक और फिर 14.30 से 18.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

डा० जी० एस० मेलकोटे--**सभापति**

सदस्य

2. श्री मूल चन्द डागा
3. श्री सी० टी० दंडपाणि
4. श्री एस0 बी० गिरि
5. श्री हुकम चंद कछवाय
6. श्री राजा कुलकर्णी

7. श्री प्रसन्नभाई मेहता

8. श्री एन० श्रीकान्तन नायर

9. श्री एम० राधाकृष्णन

10. श्री रानेन सेन

11. श्री राम नारायण शर्मा

12. श्री सी० एम० स्टीफन

13. श्री बाल गोविन्द वर्मा

14. श्री आर० के० खाडिलकर

विधायी परामर्शदाता

1. श्री आर० वी० एस० पेरिशास्त्री, विधायी अपर परामर्शदाता।

2. श्री ए० पी० पांडे, सहायक विधायी परामर्शदाता।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के प्रतिनिधि
(श्रम और रोजगार विभाग)

1. श्री पी० एम० नायक, सचिव

2. श्री डी० एस० निम, संयुक्त सचिव

3. श्री दलजीत सिंह, अवर सचिव।

सचिवालय

1. श्री पी० के० पटनायक--**संयुक्त सचिव**

2. समिति ने विधेयक पर खंड-वार विचार शुरू किया।

3. **धारा 2**--

(1) पृष्ठ 2, पंक्ति 30,--

(एक) समिति ने यह इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय इस बात की जांच करे कि क्या "जो अवैध न हो" शब्दों को रखना परमावश्यक है। यदि नहीं, तो इन शब्दों का **लोप** कर दिया जाये।

(दो) समिति ने अनुभव किया कि "**तालाबंदी अथवा**" शब्दों के बाद "कामबंदी अथवा शब्दों को अंतःस्थापित करना होगा। समिति ने इच्छा व्यक्त की कि मंत्रालय इस बात की भी जांच करे।

(2) पृष्ठ 2, पंक्ति 34--

निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया:--

"शिक्षु से भिन्न" के बाद यह अन्तःस्थापित किया जाये:-

"किन्तु उन व्यक्तियों सहित जो प्रमुख कारखाने के परिसर में किसी ठेकेदार/फर्म के अधीन नियोजित किये गये हैं"

तथापि, विधायी परामर्शदाता को यह निदेश दिया गया था कि वह इस बात को उपयुक्त शब्दों में रखे।

(3) पृष्ठ 2, पंक्ति 35,--
"सात सौ पचास रुपए प्रतिमास से अनधिक की" शब्दों का लोप किया जाये।

(4) पृष्ठ 2, पंक्ति 36,--
'महापत्तन' के स्थान पर 'पत्तन' प्रतिस्थापित किया जाये।

(5) पृष्ठ 3, पंक्ति 22,--
'महापत्तन' के स्थान पर 'पत्तन' प्रतिस्थापित किया जाये।

(6) पृष्ठ 3 और 4, क्रमशः पंक्ति 39--41 और 1--5 (अर्थात् परन्तुक) का लोप किया जाये।

अतः इस खण्ड पर आगे विचार स्थागित कर दिया गया।

4. धारा 3.– यह धारा बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुई।

5. तत्पश्चात् समिति शनिवार, 22 जनवरी, 1972 को 11.00 बजे समवेत होने तक के लिए स्थगित हुई।

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक शनिवार, 22 जनवरी 1972 को 11.00 बजे से 13.00 बजे तक और पुनः 14.30 बजे से 19.00 तक हुई।

उपस्थित

डा० जी० एस० मेलकोटे--**सभापति**

सदस्य

2. श्री मूल चंद डागा
3. श्री सी० टी० दंडपाणि
4. श्री एम० बी० गिरि
5. श्री हुकम चंद कछवाय
6. श्री राजा कुलकर्णी
7. श्री प्रसन्नभाई मेहता
8. श्री एन० श्रीकान्तन नायर
9. श्री एस० राधाकृष्णन्
10. श्री रानेन सेन
11. श्री राम नारायण शर्मा

12. श्री सी० एम० स्टीफन

13. श्री जी० वेंकटस्वामी

14. श्री बालगोविन्द वर्मा

विधायी परामर्शदाता

1. श्री आर० वी० एस० पेरी शास्त्री, विधायी अपर परामर्शदाता।
2. श्री ए० पी० पांडे, सहायक विधायी परामर्शदाता।

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय के प्रतिनिधि
(श्रम और रोजगार विभाग)

1. श्री पी० एम० नायक, सचिव।
2. श्री डी० एस० निम, संयुक्त सचिव।
3. श्री दलजीत सिंह, अवर सचिव।

सचिवालय

श्री पी० के० पटनायक, संयुक्त सचिव।

2. समिति ने विधेयक पर खण्ड-वार विचार पुनः आरम्भ किया।

3. **खण्ड** 4.

एक. निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये:-

(एक) पृष्ठ 5, पंक्ति 9,--
"पूर्ण" का **लोप** किया जाये।

(दो) पृष्ठ 5, पंक्ति 14,--
"पूर्ण" का **लोप** किया जाये:-

(तीन) पृष्ठ 5, पंक्ति 18 ,--
"पूर्ण" का **लोप** किया जाये।

(चार) पृष्ठ 5, पंक्ति 19,—
"सभी कार्यों" **के स्थान पर**

'सभी अथवा किन्हीं कार्यों' **प्रतिस्थापित** किया जाये।

दो. समिति ने निश्चय किया कि मौसमी स्थापनों के अतिरिक्त सभी स्थापनों में सेवा के सम्पूरित वर्ष से 240 कार्य दिवस अभिप्रेत होगा। मौसमी प्रतिष्ठानों में सेवा के सम्पूरित वर्ष से कुल कार्य दिवसों का 75 प्रतिशत, अर्थात् 190 दिन, अभिप्रेत होगा। किसी खान में भूमि के नीचे काम करने वाले कर्मचारियों के मामले में इससे 190 दिन अभिप्रेत होगा।

विधायी परामर्शदाता को निदेश दिया गया कि इसके लिये यथोचित उपबन्ध किया जाये।

तीन. निम्नलिखित सुझाव भी दिये गये :—

(एक) उपदान की पात्रता के लिये पांच वर्ष की अवधि बहुत अधिक समझी गयी। यह अवधि तीन वर्ष अथवा उससे भी कम कर दी जानी चाहिये। अनुपातिक उपदान (पेन्शन योजना) की तरह देने की व्यवहार्यता की भी जांच की जानी चाहिये।

(दो) उपदान की पन्द्रह मास की मजदूरी की अधिकतम सीमा को बहुत कम समझा गया। इसे या तो (क) इक्कीस मास की मजदूरी के लगभग अथवा (ख) 24,000 रुपये तक बढ़ा दिया जाना चाहिये।

(तीन) प्रत्येक सम्पूरित वर्ष की सेवा के लिये पन्द्रह दिन की मजदूरी की सीमा को एक मास अथवा कम से कम बीस दिन तक बढ़ाया जाना चाहिये।

(चार) खण्ड 4(3) में समपहरण संबंधी उपबंध को निकाल दिया जाये।

(पांच) खंड 4(2) के द्वितीय परन्तुक से "अथवा निवृत्ति फायदों" का **लोप** कर दिया जाये।

श्रम और पुनर्वास उपमंत्री ने उपर्युक्त सुझावों पर सरकार द्वारा विचार किये जाने के लिये समय मांगा।

अत: खण्ड पर विचार-विमर्श रोक दिया गया।

4. **खण्ड 5** यह खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकृत हुआ।

5. **खण्ड 6** – निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ
पृष्ठ 6, पंक्ति 37—

"सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा" के **पश्चात्** यह **जोड़ा जाये**
"और उसकी एक प्रति नियंत्रक प्राधिकारी और नामनिर्देशिती को भेजेगा।
खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

6. **खण्ड 7**

एक. निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :

(एक) पृष्ठ 7, पंक्ति 6-7

"किसी कर्मचारी को संदेय उपदान की रकम" **के स्थान पर** "संदेय उपदान की रकम अथवा उसके लिये पात्र व्यक्ति अथवा दोनों" **प्रतिस्थापित** किया जाये

(दो) पृष्ठ 7

पंक्ति 11 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित** किया जाये :–

"(कक) यदि उप–धारा (1) के अन्तर्गत आवेदन–पत्र देने के पन्द्रह दिन के भीतर, अथवा उप–धारा (3) के अन्तर्गत विहित समय, यदि कोई हो, के भीतर जो भी बाद में हो, नियोजक ने आवेदक को मान्य उपदान का संदाय अथवा उप–धारा (4) के अन्तर्गत कोई कार्यवाही न की हो तो व्यक्ति नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन–कर सकता है।"

दो. निम्नलिखित सुझाव दिये गये :-

(एक) कर्मचारी के नाम-निर्देशिती अथवा उत्तराधिकारी को सम्मिलित करने हेतु खण्ड 7(1) को यथोचित रूप से पुनः लिखा जाये ;

(दो) कर्मचारियों को संदेय उपदान की रक्षा हेतु उपयुक्त तन्त्र (यथा राष्ट्रीय उपदान न्यास, भविष्य निधि, इत्यादि) की व्यवस्था करने की व्यवहार्यता की सरकार द्वारा जांच की जाये।

तीन. विधेयक में अथवा बनाये जाने वाले नियमों में यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि नियंत्रक प्राधिकारी के पास उपदान की रकम जमा किये जाने के शीघ्र पश्चात् यह रकम कर्मचारी अथवा उसके नाम निर्देशित अथवा उत्तराधिकारी को, यदि उपदान प्राप्त करने के अधिकार के संबंध में कोई झगड़ा, न हो, अदा कर दी जायेगी।

सरकार द्वारा इन बातों पर विचार किये जाने तक इस खण्ड पर आगे विचार विमर्श रोक दिया गया।

7. खण्ड 8.--समिति ने निश्चय किया कि इस खण्ड को पुनः लिखा जाये जिससे यह व्यवस्था हो सके कि जहां नियोजक द्वारा विहित समय के भीतर उपदान की रकम का संदाय नही किया जाता वहां उपदान की रकम पर ब्याज प्रभारित होगा।

खण्ड पर विचार विमर्श स्थगित किया गया।

8. खण्ड 9.--समिति ने अनुभव किया कि इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन तकनीकी उल्लंघनों को छोड़कर, किये जाने पर कारावास से कम दण्ड नहीं होना चाहिये।

खण्ड पर विचार-विमर्श स्थगित किया गया।

9. खण्ड 10.--निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ

पृष्ठ 8, पंक्ति 21--

"प्राधिकारी के अधीन" के **पश्चात्**

"अथवा व्यथित पक्ष द्वारा" **अन्तःस्थापित** किया जाये

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

10. खण्ड 11, 12 और 13-ये खण्ड बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिये गये।

11. खण्ड 1.--समिति ने इस अधिनियम के उपबन्धों को इन पर लागू करने के प्रश्न पर विचार किया :-

(क) कालेज, स्कूल, तकनीकी संस्थान अथवा विश्वविद्यालय सहित कोई शैक्षणिक संस्थान ;

(ख) कोई अस्पताल अथवा क्लिनिक ;

(ग) कोई क्लब, कैंटीन अथवा सहकारी समिति ;

(घ) कोई स्थानीय निकाय; और

(ङ) कोई परिवहन

सरकार द्वारा इन बातों पर विचार किये जाने तक इस खण्ड पर विचार विमर्श स्थगित कर दिया गया।

12. समिति की बैठक सोमवार, 13 मार्च, 1972 को 15.00 बजे समवेत होने तक के लिए स्थगित हो गई।

चार

चौथी बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 13 मार्च, 1972 को 15.00 बजे से 15.45 बजे तक हुई।

उपस्थित

डा० वी० एस० मेलकोटे--सभापति

सदस्य

2. श्री दीनेन भट्टाचार्य
3. श्री मूलचंद डागा
4. श्री सी० टी० दंडपाणि
5. श्री राजा कुलकर्णी
6. श्री प्रसन्नभाई मेहता
7. श्री जगन्नाथ मिश्र
8. श्री दामोदर पांडे
9. श्री रानेन सेन
10. श्री राम नारायण शर्मा
11. श्री सी० एम० स्टीफन
12. श्री बाल गोबिन्द वर्मा

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता।
2. श्री वी० एस० भाष्यम, उप विधायी परामर्शदाता

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय के प्रतिनिधि (श्रम और रोजगार विभाग)

1. श्री पी० एम० नायक, सचिव, श्रम और रोजगार विभाग।
2. श्री डी० एस० निम, संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार विभाग।
3. श्री महेश चन्द्र, विशेष-कार्य अधिकारी (विधि), श्रम और रोजगार विभाग।
4. श्री दलजीत सिंह, अवर सचिव, श्रम और रोजगार विभाग।

सचिवालय

श्री पी० के० पटनायक-संयुक्त सचिव।

श्री एच० जी० परांजपे-उप सचिव।

2. आरम्भ में श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बाल गोविन्द वर्मा ने अनुरोध किया कि उन विभिन्न खण्डों जिन पर समिति ने विचार विमर्श रोक दिया है, के बारे में अपने विचार प्रकट करने के लिये मंत्रालय को कुछ और समय दिया जाये, वह चाहते थे कि कम से कम 10 अप्रैल, 1972 तक का समय दिया जाये। समिति इस बात पर सहमत हो गई।

3. परिणामतः समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 1 मई, 1972 तक समय बढ़ाने की मांग करने का निश्चय किया।

4. तदनुसार समिति ने समय बढ़ाये जाने के लिये बुद्धवार, 15 मार्च, 1972 को सभा में आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिये सभापति को और उनकी अनुपस्थिति में श्री सी० एम० स्टीफन को प्राधिकृत किया।

5. समिति ने विधेयक पर अग्रेतर खण्डवार विचार करने के लिये अपनी बैठकों का अगला दौर सोमवार, 17 अप्रैल, 1972 से आयोजित करने का निश्चय किया।

6. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

पांच

पांचवीं बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 17 अप्रैल, 1972 को 15.00 बजे से 15.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

डा० जी० एस० मेलकोटे--सभापति

सदस्य

2. श्री आर० डी० भंडारे
3. श्री दीनेन भट्टाचार्य
4. श्री सी० टी० दंडपाणि
5. श्री एस० बी० गिरि
6. श्री राजा कुलकर्णी
7. श्री प्रसन्नभाई मेहता
8. श्री जगन्नाथ मिश्र
9. श्री दामोदर पांडे
10. श्री रानेन सेन
11. श्री सी० एम० स्टीफन
12. श्री बाल गोबिन्द वर्मा

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता
2. श्री बी० एस० भाष्यम, उप विधायी परामर्शदाता

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय के प्रतिनिधि
(श्रम और रोजगार विभाग)

1. श्री पी० एम० नायक, सचिव, श्रम और रोजगार विभाग

2. श्री डी० एस० निम, संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार विभाग

3. श्री मह्रेश चन्द्र, विशेष कार्य अधिकारी (**विधि**) श्रम और रोजगार विभाग

4. श्री दलजीत सिंह, अवर सचिव, श्रम और रोजगार विभाग

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे—उप सचिव

2. सभापति ने सदस्यों के विचार जान लेने के बाद समिति की बैठक मंगलवार, 18 अप्रैल, 1972 को 15.00 बजे तक के लिये स्थगित की ताकि सदस्य उत्तरी वियतनाम की राजधानी हनोई पर अमरीका द्वारा भीषण बमवारी किये जाने से उत्पन्न गम्भीर स्थिति पर चर्चा के दौरान सभा में उपस्थित हो सकें।

छः

छटी बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 18 अप्रैल, 1972 को 15.00 बजे से 17.15 बजे तक हुई।

उपस्थित

डा० जी० एस० मेलकोटे—**सभापति**

सदस्य

2. श्री आर० डी० भंडारे
3. श्री दीनेन भट्टाचार्य
4. श्री मूलचन्द डागा
5. श्री सी० टी० दंडपाणि
6. श्री एस० बी० गिरि
7. श्री राजा कुलकर्णी
8. श्री प्रसन्नभाई मेहता
9. श्री जगन्नाथ मिश्र
10. श्री दामोदर पांडे
11. श्री रानेन सेन
12. श्री राम नारायण शर्मा
13. श्री सी० एम० स्टीफन
14. श्री बाल गोबिन्द वर्मा
15. श्री आर० के० खाडिलकर

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता

2. श्री वी० एस० भाष्यम, उप विधायी परामर्शदाता।

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय के प्रतिनिधि
(श्रम और रोजगार विभाग)

1. श्री पी० एम० नायक, सचिव, श्रम और रोजगार विभाग

2. श्री डी० एस० निम, संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार विभाग

3. श्री महेश चन्द्र, विशेष कार्य अधिकारी (विधि)

4. श्री दलजीत सिंह, अवर सचिव, श्रम और रोजगार विभाग

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे--उप सचिव

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार पुनः आरम्भ किया।

3. **खन्ड 1.** [देखिए 22-1-1972 की कार्यवाही सारांश का पैरा 11]--समिति ने इस बात पर विचार विमर्श किया कि विधेयक के उपबन्धों को किस सीमा तक लागू किया जा सकता है। इस खण्ड पर विचार-विमर्श तब तक के लिये रोक लिया गया जब तक कि सरकार अधिनियम को निम्नलिखित पर भी लागू करने के सुझाव पर अपने विचार अंतिम रूप से नहीं दे देती:--

(क) कालेज, स्कूल, तकनीकी संस्थान अथवा विश्वविद्यालय सहित कोई भी शिक्षण संस्थान;

(ख) कोई भी अस्पताल और क्लिनिक;

(ग) कोई भी क्लब, कैंटीन अथवा सहकारी सोसाइटी;

(घ) कोई भी स्थानीय निकाय;

(ङ) कोई भी परिवहन;

(च) कोई भी धार्मिक और धर्मदाय न्यास;

(छ) कोई भी सन्निर्माण अभिकरण; और

(ज) कोई भी संविदा श्रमिक

4. **खन्ड 2** [देखिये 21-1-1972 की कार्यवाही सारांश का पैरा 3]--

एक. निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया:--

पृष्ठ 2, पंक्ति 30

"तालाबंदी अथवा" के **स्थान पर**

"तालाबंदी अथवा कामबंदी अथवा" **प्रतिस्थापित** किया जायें;

दो. निम्नलिखित सुझावों पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने तक खण्ड पर आगे विचार विमर्श रोक लिया गया:—

(एक) पृष्ठ 2, पंक्ति 30

"जो अवैध न हो" शब्दों का **लोप कर दिया जाये।**

(दो) पृष्ठ 2, पंक्ति 34

"भिन्न" के पश्चात "किन्तु जिसमें प्रधानाचार्य के परिसर में फर्म/संविदाकार के अधीन नियोजित कर्मचारी सम्मिलित हैं" अन्तः स्थापित किया जाये।

(तीन) क्या मजदूरी 750 रुपये प्रति मास की सीमा को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमास अथवा इससे अधिक किया जाये ताकि विधेयक के क्षेत्र को व्यापक किया जा सके।

5. खण्ड 4 [देखियें दिनांक 21-1-72 के कार्यवाही सारांश का पैरा 3]—

एक. प्रारुपण सम्बन्धी परिवर्तनों के अध्यधीन निम्नलिखित सुझाव स्वीकार किये गये:—

(एक) "यदि कर्मचारी एक वर्ष से निरन्तर सेवा में नहीं है तो उसे ऐसी सेवा में समझा जायेगा यदि वह किसी नियोजक के अधीन पूर्ववर्त्ती बारह मासों के दौरान—

(क) यदि किसी खान में भूमि के अन्दर नियोजित हो तो 190 दिन; और

(ख) मौसमी स्थापन में नियोजन को छोड़कर किसी अन्य मामले में 240 दिन से अन्यून अवधि के लिये वास्तव में कार्य कर रहा है।

मौसमी स्थापन के मामले में कर्मचारी को निरन्तर सेवा में समझा जायेगा यदि उसने वर्ष के दौरान जितने दिन स्थापन में कार्य चलता रहा, उसके 75 प्रतिशत से अन्यून अवधि के लिये वास्तव में कार्य किया".

(दो) उपदान की 15 मास की मजदूरी की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर 21 मास की मजदूरी कर दिया जाये।

(तीन) पृष्ठ 5, पंक्ति 29, "अथवा निवृत्ति फायदों" का लोप कर दिया जाये।

दो. निम्नलिखित सुझावों पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने तक खण्ड पर आगे विचार-विमर्श रोक दिया गया:—

(एक) उपदान की पात्रता के लिये पांच वर्ष की अवधि बहुत अधिक समझी गई, इस अवधि को तीन वर्ष अथवा इससे भी कम कर दिया जाये, आनुपातिक उपदान (जैसे पेन्शन योजना है) देने की व्यवहार्यता की भी जांच की जाये।

(दो) प्रत्येक सम्पूरित वर्ष की सेवा के लिये पन्द्रह दिन की मजदूरी की सीमा को एक मास अथवा कम से कम 20 दिन तक बढ़ाया जाये।

(तीन) खण्ड 4(3) में समपहरण सम्बन्धी उपबन्ध को निकाल दिया जाये।

6. खण्ड 7—[देखिये दिनांक 22-1-72 की कार्यवाही सारांश का पैरा 6]—

एक. निम्नलिखित सुझाव स्वीकार किये गये:—

(एक) खंड 7(1) में समुचित परिवर्तन किया जाये जिससे इसके अन्तर्गत कर्मचारी का नामनिर्देशिती अथवा वारिस आ सके; और

(दो) विधेयक अथवा बनाये जाने वाले नियमों में यह स्पष्ट किया जाये कि नियंत्रक प्राधिकारी के पास उपदान की रकम जमा होने के पश्चात यह रकम यथाशक्य शीघ्र

कर्मचारी अथवा उसके नामनिर्देशिती अथवा वारिस को दी जायेगी यदि उपदान प्राप्त करने के अधिकार के सम्बन्ध में कोई विवाद न हो।

दो. निम्नलिखित सुझावों पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने तक खण्ड पर आगे विचार-विमर्श रोक दिया गया:––

"कर्मचारी को संदेय उपदान की रक्षा के लिये उपयुक्त प्रणाली (जैसे राष्ट्रीय उपदान न्यास, भविष्य निधि, आदि) की व्यवस्था करने की व्यवहार्यता।"

7. **खण्ड** 8 [देखिये दिनांक 22-1-72 की कार्यवाही सारांश का पैरा 7]—

यह स्वीकार कर लिया गया कि संदेय उपदान कि रकम पर 9 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगाने के सम्बन्ध में खण्ड 8 में व्यवस्था की जाय।

8. **खण्ड** 9 [देखिए दिनांक 22-1-72 की कार्यवाही सारांश का पैरा 8]––

यह स्वीकार किया गया कि उपदान की अदायगी में हुआ व्यतिक्रम (किन्तु तकनीकी अथवा प्रशासकीय उल्लंघन के लिये नहीं) अनिवार्य कारावास से दण्डनीय होना चाहिये, किन्तु कारावास का दण्ड देना या न देना न्यायालयों के विवेकाधिकार पर छोड़ देना चाहिये और जिन कारणों से वे दण्ड न दें उन्हें अभिलेखबद्ध किया जाये।

9. तत्पश्चात् समिति विधेयक पर खण्डवार आगे विचार विमर्श करने को 19 अप्रैल, 1972 को 16.00 बजे समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई।

सात

सातवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 19 अप्रैल, 1972 को 16.00 बज से 17.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

डा० जी० एस० मेलकोटे––**सभापति**

सदस्य

2. श्री आर० डी० भंडारे
3. श्री दीनेन भट्टाचार्य
4. श्री एस० वी० गिरि
5. श्री प्रसन्नभाई मेहता
6. श्री रानेन सेन
7. श्री राम नारायण शर्मा
8. श्री सी० एम० स्टीफन
9. श्री बालगोबिन्द वर्मा
10. श्री आर० के० खाडिलकर

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव तथा विधायी परायर्शदाता

2. श्री एस० भास्याम, उप विधायी परामर्शदाता।

श्रम, रोजगार और पुर्नवास मंत्रालय के प्रतिनिधि

(श्रम और रोजगार विभाग)

1. श्री पी० एम० नायक, सचिव, श्रम और रोजगार विभाग।

2. श्री डी० एस० निम, संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार विभाग।

3. श्री महेश चन्द्र, विशेष कार्य अधिकारी (विधि) श्रम और रोजगार विभाग।

4. श्री दलजीत सिंह, अवर सचिव, श्रम और रोजगार विभाग।

सचिवालय

श्री एच० जी० **परांजपे**,-उप सचिव

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार पुन: आरम्भ किया।

3. **खण्ड** 1--[**देखिये** दिनांक 18-4-72 के कार्यवाही सारांश का पैरा 3]—
इस खण्ड पर आगे विचार विमर्श तब तक के लिये रोक दिया गया जब तक कि सरकार अधिनियम को निम्नलिखित पर भी लागू करने के सुझाव पर अन्तिम निर्णय नहीं कर लेती :—

(क) कालेज, स्कूल, तकनीकी संस्थान विश्वविद्यालय सहित कोई भी शिक्षण संस्थान ;

(ख) कोई भी अस्पताल और क्लिनिक ;

(ग) कोई भी क्लब, कैंटीन अथवा सहकारी सोसाइटी;

(घ) कोई भी स्थानीय निकाय ;

(ङ) कोई भी परिवहन ;

(च) कोई भी धार्मिक धर्मदाय नियास ;

(छ) कोई भी सन्निर्माण अभिकरण ; और

(ज) कोई भी संविदा--श्रमिक।

समिति यह भी चाहती थी कि खण्ड 1(3) (ङ) को इस प्रकार संशोधित किया जाये कि यह स्पष्ट हो जाये कि खण्ड 2 (ङ) में उल्लिखित सभी "स्थापन" इस के अन्तर्गत आते हैं।

4. **खण्ड** 2--[**देखिये** दिनांक 18-4-72 की कार्यवाही सारांश का पैरा 4]--

एक. निम्नलिखित सुझाव स्वीकार किया गया :--

मजदूरी की 750 रुपये प्रति मास की सीमा को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रति मास किया जाये ताकि विधेयक का क्षेत्र व्यापक हो जाये।

दो. निम्नलिखित सुझावों पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने तक खंड पर आगे विचार विमर्श रोक दिया गया :--

(एक) पृष्ठ 2, पंक्ति 30

"जो अवैध न हो" शब्दों का **लोप कर** दिया जाये।

(दो) पृष्ठ 2, पंक्ति 34

"भिन्न" के पश्चात् "किन्तु जिसमें प्रधानाचार्य के परिसर में फर्म संविदाकार के अधीन नियोजित कर्मचारी सम्मिलित हैं।" **अन्त:स्थापित किया जाये।**

5. **खण्ड 4**--[देखिये दिनांक 18-4-72 की कार्यवाही सारांश का पैरा 5]--

इस सुझाव पर कि किसी कर्मचारी के उपदान के समपहरण के बारे में खण्ड के उप-खण्ड (3) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों का लोप कर दिया जाये, सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने तक खण्ड पर आगे विचार रोक लिया गया।

6. **खण्ड 7**--[देखिये दिनांक 18-4-72 की कार्यवाही सारांश का पैरा 6]--

निम्नलिखित सुझाव पर सरकार द्वारा अंतिम निर्णय लिये जाने तक खण्ड पर आगे विचार विमर्श रोक दिया गया:--

"कर्मचारी को संदेय उपदान की रक्षा के लिये उपयुक्त प्रणाली (जैसे राष्ट्रीय उपदान न्यास, भविष्य निधि, आदि) की व्यवस्था करने की व्यवहार्यता!"

7. **खण्ड 10**--

खण्ड पर विचार पुनः आरम्भ किया गया। समिति चाहती थी कि सरकार खण्ड 10 के उप खण्ड (1) के उपबन्धों को हटा देने के सुझाव की विवक्षा पर विचार करे।

खण्ड पर आगे विचार विमर्श रोक दिया गया।

8. तत्पश्चात् समिति की बैठक विधेयक पर खण्डवार आगे विचार विमर्श करने को 20 अप्रैल, 1972 को 16.30 बजे समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई।

आठ

आठवीं बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 20 अप्रैल, 1972 को 16.30 से 19.00 बजे तक हुई।

उपस्थित

डा० जी०एस० मेलकोटे --**सभापति**

सदस्य

2. श्री आर० डी० भंडारे
3. श्री दीनेन भट्टाचार्य
4. श्री सी० टी० दंडपाणि
5. श्री एस० बी० गिरि
6. श्री हुकम चन्द कछवाय
7. श्री प्रसन्नभाई मेहता
8. श्री जगन्नाथ मिश्र

9. श्री एन० श्री कान्तन नायर

10. श्री रानेन सेन

11. श्री राम नारायण शर्मा

12. श्री बाल गोबिन्द वर्मा

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव और विधाई परामर्शदाता

2. श्री वी० एस० भास्याम, उप विधाई परामर्शदाता

श्रम, रोजगार और पुर्नवास मंत्रालय के प्रतिनिधि

(श्रम और रोजगार विभाग)

1. श्री पी० एम० नायक, सचिव, श्रम और रोजगार विभाग

2. श्री डी० एस० निम, संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार विभाग

3. श्री महेन्द्र चन्द्र, विशेष कार्य अधिकारी (विधी), श्रम एवं रोजगार विभाग

4. श्री दलजीत सिंह, अवर सचिव श्रम एवं रोजगार विभाग।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे, उप सचिव

2. समिति ने विधेयक पर और आगे खंडवार विचार शुरु किया।

3. खंड 2--दिनांक 19 अप्रैल, 1972 के कार्यवाही सारांश का पैरा 4 देखिये--निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये।

(एक) पृष्ठ 2, पंक्ति 29,--
'छुट्टी' के पश्चात् 'जबरी छुट्टी' अन्त:स्थापित कीजिये।

(दो) पृष्ठ 2, पंक्ति 30-31,--
'सम्बन्धित कर्मचारी की त्रुटि के कारण न हो, से विछिन्न हुई हो', के पश्चात् चाहे इस प्रकार की अविछिन्न अथवा विछिन्न सेवा यह अधिनियम लागू होने से पूर्व अथवा पश्चात् की गई थी,

अन्तःस्थापित कीजिये।

(तीन) पृष्ठ 2, पंक्ति 31 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित कीजिये।

"स्पष्टीकरण (एक) :—ऐसे कर्मचारी के मामले में जो एक वर्ष तक अविछिन्न सेवा में न रहा हो, उस निरन्तर सेवा में माना जायेगा यदि वह किसी नियोजक द्वारा वर्ष शुरू होने के ठीक पहले बारह महीनों के दौरान वास्तव में नियोजित किया गया हो और कार्यावधि निम्नलिखित से कम न हो:—

(एक) यदि खान के अन्दर काम कर रहा हो तो 190 दिन; अथवा

(दो) मौसमी स्थापना में उसकी नियुक्ति के अतिरिक्त, अन्य किसी भी मामले में 240 दिन।

स्पष्टीकरण (दो) :--मौसमी स्थापना के कर्मचारी को निरन्तर सेवा में माना जायेगा यदि वर्ष के दौरान स्थापना में जितने दिन काम हुआ उसके 75 प्रतिशत दिनों से अन्यून दिनों तक वह वास्तव में काम पर लगा रहा हो"

**(चार) पृष्ठ 2, पंक्ति 35,--

'सात सौ पचास रुपये' **के स्थान पर**

'एक हजार रुपये' **प्रतिस्थापित** कीजिये।

(पांच) पृष्ठ 3, पंक्ति 5 के पश्चात् निम्नलिखित **अन्तःस्थापित** कीजिये।

"**स्पष्टीकरण**:--ऐसे कर्मचारी के मामले में, जिसे एक हजार रुपये प्रतिमाह से अनधिक मजदूरी पर पांच वर्ष से अन्यून अवधि तक नियोजित रह चुकने के पश्चात् उपदान संदाय पाने का हकदार बनने से ठीक एक दिन पहले एक हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक मजदूरी पर नियोजित किया जाता है, उसकी मजदूरी, जिस अवधि के लिये वह एक हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक मजदूरी पर नियुक्त किया गया हो, इस अधिनियम के अन्तर्गत उसे संदेय उपदान की संगणना के उद्देश्य के लिये एक हजार रुपये प्रतिमाह मानी जायेगी।"

(चार) समिति द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन [दिनांक 21 जनवरी, 1972 को आयोजित बैठक के कार्यवाही सारांश का पैरा 3(6) देखिये] पुनःविचार के पश्चात् निकाल दिया जाए।

पृष्ठ 3-4,

पंक्तियां 39-41 और 1-5 (अर्थात् परन्तुक) का लोप कर दें।

खण्ड पर आगे विचार विमर्श रोक दिया गया।

4. खण्ड 4:--[दिनांक 19 अप्रैल, 1972 के कार्यवाही सारांश का पैरा 5 **देखिये**] निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत किये गये:--

(एक) पृष्ठ 5, पंक्ति 5-6 के स्थान पर निम्नलिखित **अन्तःस्थापित** कीजिए:--
'पांच वर्ष से अन्यून निरन्तर सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् उसे नौकरी से निकाल दिये जाने पर कर्मचारी को--

(तीन) पृष्ठ 5, पंक्ति 17 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित** कीजिये।

"(1क) किसी कर्मचारी को संदेय उपदान की संगणना के लिये जिसे उसकी निःशक्तता के बाद घटी दर से मजदूरी पर नियुक्त किया जाता है, उसकी निःशक्तता से पूर्वावधि के लिये उसकी मजदूरी उक्त अवधि में उसके द्वारा प्राप्त की गई मजदूरी मानी जायेगी और उसकी निःशक्तता के बाद की अवधि के लिये मजदूरी जोकि निःशक्तता के कारण घटा दी गई है, मानी जायेगी।"

**समिति द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन [दिनांक 21 जनवरी, 1972 को आयोजित बैठक के कार्यवाही--सारांश का पैरा 3(3) देखिये] पुनर्विचार के पश्चात् निकाल दिया गया।

पृष्ठ 2, पंक्ति 35,

"सात सौ पच्चास रुपये प्रतिमास से अनधिक", का **लोप** कीजिये।

(चार) पृष्ठ 5, पंक्ति 19-20 'स्थाई रुप से' का **लोप** कीजिये।

(पांच) पृष्ठ 5, पंक्ति 19 'सभी' को **लोप कीजिये।

(छः) पृष्ठ 5, पंक्ति 25 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित** कीजिये।

"परन्तु दिहाड़ीदार कर्मचारी के मामले में, उपदान की संगणना उसके नियोजन के पर्यवसान के ठीक पूर्व तीन महीनों की अवधि के लिये उसके द्वारा प्राप्त की गई कुल मजदूरी के औसत के आधार पर की जायेगी, और इसके लिये किसी समयोपरि कार्य के लिये दी गई मजदूरी की गणना नहीं की जायेगी :

परन्तु यह और कि कर्मचारियों के मौसमी स्थापनाओं में नियोजित होने की दशा में, नियोजक प्रत्येक सत्र के लिये सात दिनों की मजदूरी की दर से उपदान देगा।"

(सात) पृष्ठ 5, पंक्ति 26 'परन्तु' **के स्थान पर** '(2क)' **प्रतिस्थापित** कीजिये।

(आठ) पृष्ठ 5, पंक्ति 26, 'पन्द्रह' **के स्थान पर** 'बीस' **प्रतिस्थापित** कीजिये।

(नौ) पृष्ठ 5, पंक्ति 28 'परन्तु यह और कि' **के स्थान पर** '(2ख)' **प्रतिस्थापित** कीजिये।

(दस) पृष्ठ 5, पंक्ति 29 'अथवा निवृत्ति फायदों' का **लोप** कीजिये।

खण्ड पर आगे विचार-विमर्श रोक दिया गया।

5. खण्ड 5:-इस खण्ड पर फिर से विचार आरम्भ किया गया [दिनांक 22 जनवरी, 1972 के कार्यवाही सारांश का पैरा 4 देखिये और निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया:

पृष्ठ 6, पंक्ति 12, 'लाभ' **के स्थान पर** 'उपदान अथवा पेंशन सम्बन्धी लाभ' **प्रतिस्थापित** कीजिये।

खण्ड संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

6. खण्ड 7: निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये:

(एक) पृष्ठ 6, पंक्ति 38 'कोई कर्मचारी' **के स्थान पर** 'कोई व्यक्ति' **प्रतिस्थापित** कीजिये।

(दो) पृष्ठ 7, पंक्तियां 7-8 'संदेय उपदान की रकम' **के पश्चात्** "अथवा जो व्यक्ति उपदान पाने का हकदार है" **अन्तःस्थापित** कीजिये।

(तीन) पृष्ठ 7, पंक्ति 20 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित** कीजिये।

"(घ) खण्ड (क) के अन्तर्गत रकम जमा कराने के पश्चात् जितनी जल्दी हो सके, नियंत्रक प्राधिकारी जमा की गई रकम :

(एक) कर्मचारी को संदत्त करेगा यदि आवेदक कर्मचारी है ; अथवा

समिति द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन [दिनांक 22 जनवरी, 1972 को आयोजित बैठक के कार्यवाही सारांश का पैरा 3(1) (चार) **देखिये] पुर्नविचार के पश्चात् निकाल दिया गया:—

पृष्ठ 5, पंक्ति 19

'सभी कार्य' **के स्थान पर** 'सभी अथवा कोई' कार्य **प्रतिस्थापित** कीजिये।

(दो) नामनिर्देशिती को अथवा उत्तराधिकारी को संदत्त करेगा यदि नियन्त्रक प्राधिकारी सन्तुष्ट है कि इस दावे में आवेदक के अधिकार के सम्बन्ध में कोई विवाद नहीं है।"

खण्ड पर आगे विचार-विमर्श रोक दिया गया।

7. खण्ड 8 : निम्नलिखित संशोधन स्वीकार कर लिया गया :

पृष्ठ 8, पंक्ति 7, 'उसकी वसूली' के पश्चात् 'उस पर प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत की दर से चक्रवृद्धि ब्याज सहित,' अन्तःस्थापित कीजिये।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

8. खण्ड 10 :-[दिनांक 19 अप्रैल, 1972 के कार्यवाही सारांश का पैरा 7 देखिये]—समिति ने अपने पूर्व निर्णय पर पुनः जोर दिया कि सरकार खण्ड 10 के उप-खण्ड (1) के उपबन्धों को अभिमुक्ति देने के सुझावों की विवक्षा पर विचार करे।

9. खण्ड 11 :-इस खण्ड पर फिर से विचार आरम्भ किया गया [दिनांक 22 जनवरी, 1972 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 10 देखिये] और निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किया गया।

पृष्ठ 8, पंक्ति 25, 'नियम' के पश्चात् 'अथवा आदेश' अन्तःस्थापित कीजिये।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

10. खण्ड 12 :—इस खण्ड पर फिर से विचार आरम्भ किय गया। [दिनांक 22 जनवरी, 1972 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 10 देखिये] और निम्नलिखित संशोधन स्वीकार किये गये :

(एक) पृष्ठ 8, पंक्ति 35 'दो' के पश्चात् 'अथवा अधिक' अन्तःस्थापित कीजिये,

(दो) पृष्ठ 8, पंक्ति 36, 'बादके' के पश्चात् 'सत्र अथवा उपर्युक्त क्रमवर्ती सत्रों' अन्तःस्थापित कीजिये।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

11. खण्ड 1 : निम्नलिखित संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,

'1971' के स्थान पर '1972' प्रतिस्थापित कीजिये।

खण्ड पर आगे विचार-विमर्श रोक दिया गया।

12. **अधिनियमित सूत्र** : निम्नलिखित संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

पृष्ठ 1, पंक्ति 1, 'बाईसवें' के स्थान पर 'तेईसवें' प्रतिस्थापित कीजिये।

अधिनियमित सूत्र, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

13. तत्पश्चात् समिति शुक्रवार, 21 अप्रैल, 1972 को 09.30 बजे विधेयक पर और आगे खण्डवार विचार करने को पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई।

नौ

नवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार 21 अप्रैल, 1972 को 09.30 बजे से 10.00 बजे तक हुई ।

उपस्थित

डा० जी० एस० मेलकोटे---**सभापति**

सदस्य

2. श्री प्रसन्नभाई मेहता
3. श्री जगन्नाथ मिश्रा
4. श्री एन० श्रीकान्तन नायर
5. श्री रानेन सेन
6. श्री राम नारायण शर्मा
7. श्री बाल गोबिन्द वर्मा

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के मैत्रा, संयुक्त सचिव और विधाई परामर्शदाता
2. श्री वी० एस० भाष्यम, उपविधाई परामर्शदाता

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय के प्रतिनिधि
(श्रम और रोजगार विभाग)

1. श्री पी० एम० नायक, सचिव, श्रम और रोजगार विभाग
2. श्री डी० एस० निम, संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार विभाग
3. श्री महेश चन्द, विशेष कार्य अधिकारी (विधाई) श्रम एवं रोजगार विभाग
4. श्री दलजीत सिंह, अवर सचिव, श्रम एवं रोजगार विभाग

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे---उप-सचिव

2. श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री श्री बालगोबिन्द वर्मा ने प्रारम्भ में अनुरोध किया कि समिति द्वारा जिन खण्डों पर विचार स्थगित किया गया है उनके सम्बन्ध में अपने विचार प्रगट करने के लिये मंत्रालय को कुछ और समय दिया जाये । उन्होंने 26 अप्रैल, 1972 तक का समय देना चाहा । समिति इस बात से सहमत हो गई ।

3. समिति ने विधायी परामर्शदाता को इस बात के लिये प्राधिकृत किया कि वह प्रत्यक्ष त्रुटियों का सुधार करें और विधेयक में यदि कोई प्रारूप सम्बन्धी और पारिणामिक संशोधन होने हों तो उन्हें करें ।

4. समिति ने निश्चय किया कि समिति को प्राप्त ज्ञापन/अभ्यावेदन/टिप्पण, समिति के प्रतिवेदन के सभा में प्रस्तुत हो जाने के बाद सदस्यों द्वारा देखे जाने की सुविधा के लिये संसद ग्रन्थालय मे रख दिये जायें ।

5. तत्पश्चात् समिति बुधवार, 26 अप्रैल, 1972 को 10.00 बजे विधेयक पर और आगे खण्डवार विचार करने के लिये पुनः समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई ।

दस

दसवीं बैठक

समिति की बैठक बुधवार, 26 अप्रैल, 1972 को 10.00 बजे से 11.10 बज तक हुई ।

उपस्थित

डा० जी० एस० मेलकोटे--**सभापति**।

सदस्य

2. श्री आर० डी० भंडारे
3. श्री दीनेन भट्टाचार्य
4. श्री मूलचन्द डागा
5. श्री एस० बी० गिरि
6. श्री राजा कुलकर्णी
7. श्री प्रसन्नभाई मेहता
8. श्री जगन्नाथ मिश्र
9. श्री एन० श्रीकान्तन नायर
10. श्री रानेन सेन
11. श्री रामनारायण शर्मा
12. श्री बाल गोविन्द वर्मा
13. श्री आर० के० खाडिलकर

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शदाता।
2. श्री वी० एस० भाष्यम, उपविधायी परामर्शदाता ।

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय के प्रतिनिधि
(श्रम और रोजगार विभाग)

1. श्री पी० एम० नायक, सचिव, श्रम और रोजगार विभाग ।
2. श्री डी० एस० निम, संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार विभाग।
3. श्री महेश चन्द्र, विशेष कार्य अधिकारी (विधि) श्रम और रोजगार विभाग।
4. श्री दलजीत सिंह, अवर सचिव, श्रम और रोजगार विभाग।

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे--उपसचिव

2. समिति ने विधेयक पर खण्डवार विचार-विमर्श शुरू किया ।

3. **खण्ड** 2--[देखिये दिनांक 20 अप्रैल, 1972 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 3]

निम्नलिखित अन्य संशोधन स्वीकृत हुये :

(एक) पृष्ठ 2, पंक्ति 8,"व्यक्तियों" के स्थान पर "कर्मचारियों" **प्रतिस्थापित** कीजिये ।

(दो) पृष्ठ 3, पंक्ति 27 के पश्चात् अन्तःस्थापित किया जाये--

"(ङङ) "कारखाना" का वही अर्थ है जो कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खण्ड (ड) में दिया गया है; 1948 का 63

(तीन) पृष्ठ 4, पंक्ति 15 के **पश्चात् अन्तःस्थापित** किया जाये--

'(जज) "खान" का वही अर्थ है, जो खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (ञ) में उसे दिया गया है;' 1952 का 35

(चार) पृष्ठ 4, पंक्ति 20 के **पश्चात् अन्तःस्थापित** किया जाये--

'(ञञ) "बागान" का वही अर्थ है जो बागान श्रम अधिनियम, 1951 की धारा 2 के खण्ड (च) में उसे दिया गया है;' 1951 का 69

'(ञञञ) "पत्तन" का वही अर्थ है जो भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 3 के खण्ड (4) में उसे दिया गया है ;' 1908 का 15

खण्ड, पुनः संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

4. **खण्ड** 4 -- [**देखिये** दिनांक 20 अप्रैल, 1972 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 4] निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :--

पृष्ठ 6, पंक्ति 6-7, "अथवा किसी स्थान पर किया जाता है जोकि उसके नियोजन स्थान में अथवा उसके आसपास में है" का लोप किया जाये ।

खण्ड, पुनः संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

5. **खण्ड** 7 --[देखिये दिनांक 20 अप्रैल, 1972 कार्यवाही-सारांश का पैरा 6]

निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :--

*पृष्ठ 7, पंक्ति 11 के **पश्चात्**---अन्तःस्थापित किया जाये --

"**स्पष्टीकरण** :--इस खण्ड में विनिर्दिष्ट मामलों में कोई विवाद होने पर कर्मचारी नियंत्रक प्राधिकारी को खण्ड (ब) में विनिर्दिष्ट कार्यवाही के लिये लिखित आवेदन भेजेगा ।"

---

*समिति द्वारा स्वीकृत निम्नलिखित संशोधन [देखिये दिनांक 22 जनवरी, 1972 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 6(दो) पुनर्विचार के बाद निकाल दिया गया--

(कक) यदि उपधारा (1) के अन्तर्गत अथवा उपधारा (3) के अन्तर्गत कोई अवधि निर्धारित की गई हो, तो इनमें से जो अवधि बाद की हो, उस के 15 दिन के अन्दर यदि आयोजक ने उपदान संदाय द्वारा अथवा उपधारा (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करके आवेदक को संतुष्ट न कर दिया हो तो व्यथित व्यक्ति नियंत्रक प्राधिकारी को आवेदन भेजेगा ।

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

6. खण्ड 9 :--[**देखिये** दिनांक 28 अप्रैल, 1972 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 8]-- निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुए :--

(एक) पृष्ठ 8, पंक्ति 19 के **पश्चात् अन्तःस्थापित** किया जाये--

"परन्तु यदि अपराध इस अधिनियम के अन्तर्गत संदाय उपदान की अदायगी न करने से संबंधित हो, तो नियोजक कारावास से दण्डनीय होगा जिसकी अवधि तीन महीने से अन्यून होगी। यदि मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायालय की राय हो, कि कारावास की अवधि कम करने या जुर्माना किया जाने से न्याय का उद्देश्य पूरा हो सकता है तो उसे इसके कारणों को अभिलेखबद्ध करना होगा।"

(दो) पृष्ठ 2--पंक्ति 17,

"तीन मास" के **स्थान पर** "एक वर्ष" **प्रतिस्थापित** कीजिये। खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ ।

7. खण्ड 9क. निम्नलिखित नया खण्ड स्वीकृत हुआ :
पृष्ठ 8, पंक्ति 19 के **पश्चात्, जोड़िये**

"9क. यदि किसी नियोजक पर इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप लगाया जाता है तो उसे विधिवत् परिवाद करके और अभियोजक को इस आशय का पूरे तीन से अन्यून समय का लिखित नोटिस देकर, किसी और व्यक्ति को, जिस पर वह वास्तविक अपराधी होने का आरोप लगाता हो, आरोप की सुनवाई के लिये निर्धारित समय पर न्यायालय के समक्ष बुलाने का हक होगा और उसका अपराध सिद्ध हो जाने के पश्चात् यदि नियोजक न्यायालय के समाधान के लिये यह सिद्ध कर देता है कि :--

(क) उसने (नियोजक ने) इस अधिनियमन के निष्पादन में अपेक्षित तत्परता बरती थी तथा,

(ख) कथित अन्य व्यक्ति ने उसकी जानकारी, सम्मति अथवा मौनानुकूलता के बिना यह अपराध किया था--

तो कथित व्यक्ति को उस अपराध के लिये सिद्ध-दोष ठहराया जायेगा तथा उसे उसी प्रकार के दण्ड का भागी माना जायेगा जैसे वही नियोजक हो तथा नियोजक को उस अधिनियम के अन्तर्गत उस अपराध की हर जिम्मेवारी से दोष मुक्त कर दिया जायेगा :

परन्तु उपरोक्त सिद्ध करने के लिये नियोजक को शपथ दिलाकर उसकी तथा उसके साक्ष्य की पृच्छा की जा सकेगी और नियोजक के तथा नियोजक द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत किये गये साक्षी के साक्ष्य की प्रतिपृच्छा वास्तविक अपराधी के रूप में आरोपित व्यक्ति की ओर से तथा अभियोजक द्वारा की जा सकेगी ।

परन्तु यदि उस व्यक्ति को जिस पर नियोजक ने वास्तविक अपराधी होने का आरोप लगाया है, आरोप की सुनवाई के लिये निर्धारित समय पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, तो न्यायालय समय-समय पर उसकी सुनवाई 3 महीने के अनाधिक अवधि तक के लिये स्थगित कर देगा, किन्तु यदि कथित अवधि के अन्त तक भी उस व्यक्ति को जिस पर वास्तविक अपराध का आरोप

लगाया गया है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हो, तो न्यायालय नियोजक के विरुद्ध सुनवाई शुरू कर देगा और अपराध सिद्ध हो जाने पर उसे दण्डित करेगा। "

8. **खण्ड 10**––[**देखिये** दिनांक 20 अप्रैल, 1972 के कार्यवाही-सारांश का पैरा 8]––

निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :––

पृष्ठ 8, पंक्ति 23 के **पश्चात् अंतःस्थापित** किया जाये––

"किन्तु जिस मामले में विनिर्दिष्ट समय के अवसान के 6 मास के अन्दर उपदान की रकम संदेय नहीं की गई हो अथवा वसूल नहीं की गई हो, उसमें समुचित सरकार नियोजक के विरुद्ध परिवाद करने के लिये नियन्त्रक प्राधिकारी को प्राधिकृत करेगी तथा नियन्त्रक प्राधिकारी, इस प्रकार प्राधिकृत किये जाने पर 15 दिन के अन्दर, उस अपराध की जांच करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट से इस सम्बन्ध में परिवाद करेगा।"

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

9. **नया खण्ड 11क**:––निम्नलिखित नया खण्ड स्वीकृत हुआ :

पृष्ठ 8, पंक्ति 29 के **पश्चात् अंतःस्थापित** किया जाये ––

उपदान का संरक्षणः 11क. इस अधिनियम के अन्तर्गत संदेय किसी उपदान को, किसी डिक्री अथवा दीवानी, राजस्व अथवा फौजदारी न्यायालय के किसी आदेश के निष्पादन में कुर्क नहीं किया जा सकेगा।"

10. **खण्ड 1**–– [**देखिये** दिनांक 20 अप्रैल, 1972 की कार्यवाही-सारांश का पैरा 11]––

निम्नलिखित संशोधन स्वीकृत हुआ :––

पृष्ठ 1, पंक्ति 9—14 के **स्थान पर प्रतिस्थापित** किया जाये––

"(क) प्रत्येक कारखाना, खान, तेल क्षेत्र, बागान, पत्तन तथा रेलवे कम्पनी"

खण्ड, संशोधित रूप में, स्वीकृत हुआ।

11. **पूरा नाम**:––पूरा नाम, बिना संशोधन के, स्वीकार किया गया।

12. तत्पश्चात् समिति अपने प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने तथा उसे स्वीकार करने के लिये शुक्रवार, 28 अप्रैल, 1972 को 15.00 बजे समवेत होने तक के लिये स्थगित हुई।

ग्यारह

ग्यारहवीं बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 28 अप्रैल, 1972 को 15.00 बजे से 16.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

डा० जी० एस० मेलकोटे––**सभापति**

सदस्य

2. श्री आर० डी० भंडारे
3. श्री दीनेन भट्टाचार्य

4. श्री एस० बी० गिरि

5. श्री राजा कुलकर्णी

6. श्री प्रसन्नभाई मेहता

7. श्री जगन्नाथ मिश्र

8. श्री रानेन सेन

9. श्री बाल गोबिन्द वर्मा

10. श्री आर० के० खाडिलकर

विधायी परामर्शदाता

1. श्री एस० के० मैत्रा, संयुक्त सचिव तथा विधायी परामर्शदाता

2. श्री बी० एस० भाष्यम, उप- विधायी परामर्शदाता

श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

(श्रम और रोजगार विभाग के प्रतिनिधि)

1. श्री पी० एम० नायक, सचिव, श्रम और रोजगार विभाग
2. श्री डी० एम० निम, संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार विभाग
3. श्री महेश चन्द्र, विशेष कार्य अधिकारी (विधायी) श्रम और रोजगार विभाग
4. श्री दलजीत सिह, अवर सचिव, श्रम और रोजगार विभाग

सचिवालय

श्री एच० जी० परांजपे--उप-सचिव।

2. समिति ने खण्ड 2 पर फिर से विचार-विमर्श शुरू किया और निम्नलिखित और संशोधन स्वीकार किया :--

पृष्ठ 2, पंक्ति 39 के बाद,

समिति द्वारा अन्तःस्थापित किये गये स्पष्टीकरण [देखिये दिनांक 20 अप्रैल, 1972 के कार्यवाही सारांश का पैरा 3 (v) **के स्थान पर**

"**स्पष्टीकरण** :--किसी ऐसे कर्मचारी की दशा में जो पांच वर्ष से अन्यून की कालावधि के लिये एक हजार रुपये प्रति मास से अनधिक की मजदूरी पर नियोजित किया गया हो और तत्पश्चात् किसी समय एक हजार रुपये प्रति मास से अधिक की मजदूरी पर नियोजित किया जाये, उस कालावधि की बाबत उपदान, जिसके दौरान ऐसा कर्मचारी एक हजार रुपये प्रति मास से अनधिक की मजदूरी पर नियोजित रहा हो, उसके द्वारा उस कालावधि के दौरान प्राप्त की गई मजदूरी के आधार पर अवधारित किया जायेगा।"

प्रतिस्थापित किया जाये।

खण्ड 2, और संशोधित रूप में स्वीकृत हुआ।

3. समिति ने संशोधित रूप में विधेयक पर विचार-विमर्श किया और उसे स्वीकार किया।

4. तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित रूप भेदों के अध्यधीन प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार किया

ग्रौर उसे स्वीकार किया :--

(i) पैराग्राफ (11) (i)

"समिति ने ग्रनुभव किया कि ग्रचानक ग्रौर ग्रनुचित हड़तालों से (जो ग्रवैध स्वरूप की हों) उत्पादन ग्रायोजना गड़बड़ हो जाती है ग्रौर इससे नियोक्ता को काफी नुकसान हो सकता है। परिणामतः ऐसी हड़तालों के विरुद्ध किसी निवारक कार्यवाही की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसलिये समिति ग्रनुभव करती है।"

के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये--

"सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए समिति यह सुझाव देती है"

(दो) **पैराग्राफ 11(ii)**

"उपदान संदाय के प्रयोजन के लिये कर्मचारी की वर्तमान परिभाषा 750 रुपये प्रतिमास की मजदूरी की सीमा निर्धारित करती है। समिति को यह सुझाव दिया गया था कि कर्मचारियों को इसके ग्रधीन लाने के लिये, जो प्रस्तावित ग्रध्युपाय से लाभान्वित होंगे, 750 रुपये की मजदूरी की सीमा समाप्त कर दी जानी चाहिये। समिति ने नोट किया कि केरल ग्रौद्योगिक कर्मचारी उपदान संदाय ग्रधिनियम, 1970, तथा पश्चिम बंगाल कर्मचारी ग्रनिवार्य उपदान संदाय ग्रधिनियम, 1970 में मजदूरी की ऐसी सीमा ग्रन्तर्विष्ट है। समिति की राय में ग्रधिक मजदूरी पाने वाले कर्मचारी को या तो इन लाभों की ग्रावश्यकता नहीं है ग्रौर या उन्हें ग्रपनी चिन्ता स्वयं करने के लिये छोड़ा जा सकता है। इसलिये समिति ग्रनुभव करती है कि जिन कर्मचारियों को बहुत ग्रधिक उपलब्धियां प्राप्त होती है उन्हें इसके ग्रधीन लेने का कोई विशेष कारण नहीं है ग्रौर परिणामत: विधेयक में कोई मजदूरी सीमा प्रतिधारित करनी पड़ेगी। तथापि, इस विधेयक की व्याप्ति को व्यापक बनाने के लिये समिति सिफारिश करती है कि 750 रुपये की वर्तमान सीमा बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति मास कर दी जानी चाहिये, जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना में उपबन्धित है

"समिति ग्रनुभव करती है कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि कोई व्यक्ति जो प्रारम्भ में 1,000 रुपये प्रति मास से कम मजदूरी पर नियोजित हुग्रा हो ग्रौर पांच वर्ष तक निरन्तर 1,000 रुपये प्रति मास से कम मजदूरी पर नियोजित रहे, यदि उस समय जब कि वह उपदान पाने का हकदार हो जाता है वह 1000 रुपये प्रति मास से ग्रधिक मजदूरी पर नियुक्त है तो वह उपदान पाने के हक से वंचित न हो जाये। इसलिये समिति यह सिफारिश करती है कि ऐसे कर्मचारी के मामले में कर्मचारी को संदेय उपदान की संगणना --

(क) ग्रर्हता ग्रवधि के दौरान उसे मिलने वाली मजदूरी के ग्राधार पर, तथा

(ख) उस ग्रवधि के लिये जिसमें उसे 1,000 रुपये से ग्रधिक मजदूरी प्राप्त हुई है --

इस ग्राधार पर कि उस ग्रवधि के दौरान उसकी मजदूरी 1,000 रुपये प्रति मास थी।"

के स्थान पर यह प्रतिस्थापित किया जाये :--

"विधेयक की व्याप्ति को व्यापक बनाने के लिये समिति यह सिफारिश करती है कि 750 रुपये प्रतिमास की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रतिमास कर दिया जाये जैसी कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना में उपबन्धित है।

समिति का विचार है कि यदि कोई व्यक्ति पहले 1,000 रुपये प्रतिमास से अनधिक की मजदूरी पर नियोजित हो और पांच वर्ष तक निरन्तर 1000 रुपये प्रतिमास से अधिक अनधिक मजदूरी पर नियोजित रहे तो 1,000 रुपये प्रतिमास से अधिक मजदूरी होने पर उसे उपदान पाने का अनधिकारी नहीं बनाना चाहिये । इसलिये समिति यह सुझाव देती है कि ऐसे कर्मचारी के मामले में, उसे उस अवधि के लिये जिस समय वह 1,000 रुपये प्रतिमास से अधिक मजदूरी पर नियोजित था, उस अवधि के दौरान उसके द्वारा प्राप्त की गई मजदूरी के आधार पर उपदान दिया जाये ।"

5. तत्पश्चात् सभापति ने समिति के सदस्यों का ध्यान विमति-टिप्पण के सम्बन्ध में अध्यक्ष के निदेशों के निदेश 87 की ओर दिलाया ।

6. सभापति ने घोषणा की कि यदि कोई विमति टिप्पण हों तो वे लोक सभा सचिवालय को इस प्रकार भेज दिये जायें कि वे 2 मई, 1972 को 10.00 बजे तक सचिवालय में पहुंच जायें ।

7. समिति ने सभापति को, और उनकी अनुपस्थिति में श्री आर० डी० भंडारे को 2 मई, 1972 को सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

8 श्रम और पुनर्वास मंत्री, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री, विधायी परामर्शदाता तथा लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा समिति को दिये गये सहयोग और सहायता के लिये समिति ने उनको अपना धन्यवाद दिया ।

9. तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई ।

MGIPRRND—Sec. I—16 LSS/72—19-7-72—250.